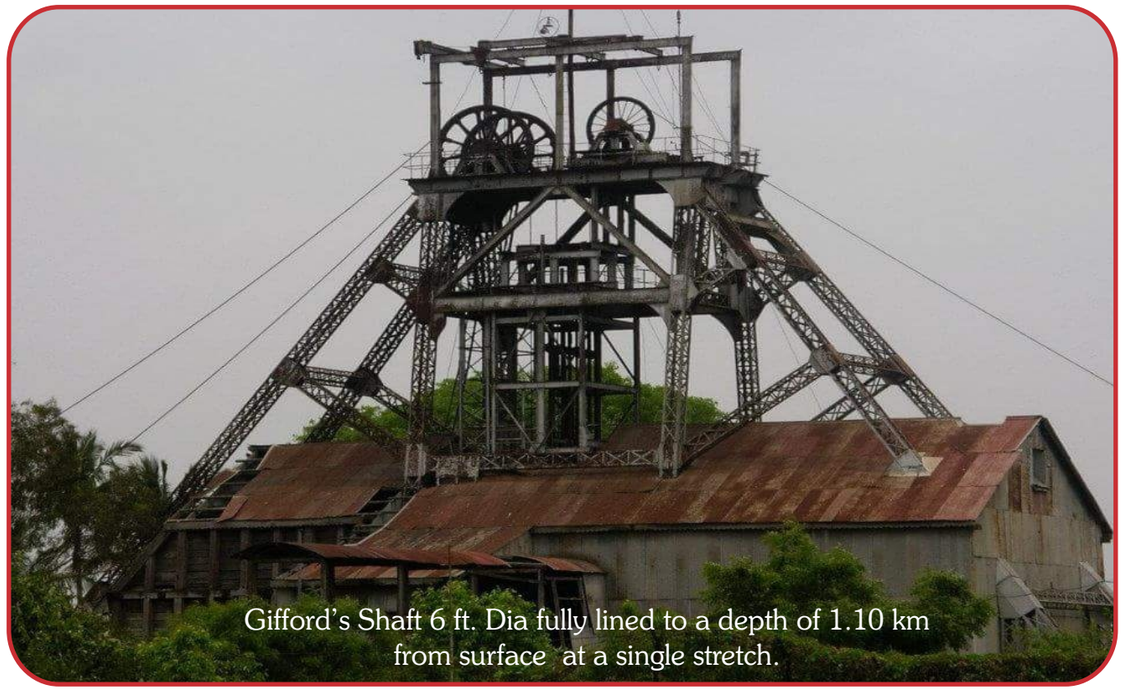
बीजीएमएल
BGML

49 वीं वार्षिक रिपोर्ट
49th Annual Report
2020-21



Gifford's Shaft 6 ft. Dia fully lined to a depth of 1.10 km from surface at a single stretch.

भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड
BHARAT GOLD MINES LIMITED
(A Government of India Enterprise)

निदेशक मण्डल



डा. रंजीत रथ
प्रबन्ध निदेशक
(अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
एमईसीएल)



श्रीमती फरीदा एम नायक
सरकार द्वारा नामित निदेशक
(संयुक्त सचिव, खान मंत्रालय,
भारत सरकार)



डा. वीणा कुमारी डी.
सरकार द्वारा नामित निदेशक
(संयुक्त सचिव, खान मंत्रालय,
भारत सरकार)



श्री अरुण गोयल
सरकार द्वारा नामित निदेशक–वित्त
(महा प्रबन्धक (वित्त), एमईसीएल)

पंजीकृत कार्यालय
सुवर्ण भवन
स्मिथ रोड, ऊरगाम पोस्ट
कोलार स्वर्ण क्षेत्र, कोलार जिला, कर्नाटक राज्य - 563 120
दूरभाष: (08153) 295581, 295582

क्रम सं	अनुक्रम	पृष्ठ सं.
1	प्रबन्ध निदेशक का वक्तव्य	3
2	निदेशकों की रिपोर्ट	6
3	दस वर्षों की वित्तीय स्थिति पर एक दृष्टिपात	11
4	प्रमुख लेखा नीतियॉ	12
5	31–3–2021 को तुलनपत्र	14
6	वर्ष 2020–21 के लिए लाभ और हानि विवरण	15
7	वर्ष 2020–21 के लिए नकदी प्रवाह विवरण	16
8	लेखों पर टिप्पणी (टिप्पणी 1 से 28 तक)	17
9	स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	37
10	स्वतंत्र लेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर कम्पनी का उत्तर	50
11	भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की टप्पिणी	54

प्रबन्ध निदेशक का वक्तव्य



डा. रंजीत रथ

प्रिय शेयरधारियों,

*कम्पनी के निदेशक मण्डल की ओर से भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड की **49वीं वार्षिक आम बैठक** में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ ।*

वार्षिक आम बैठक की सूचना, नदेशकों की रिपोर्ट, निदेशकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट और 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष का लेखा परीक्षित विवरण, सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और कम्पनी के वित्तीय वर्ष 2020–21 के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की टिप्पणी आपके पास पहले ही भेजे जा चुके हैं । आपकी अनुमति से इन्हें पढ लिया गया समझूँगा।

सामान्य परिदृश्य

आपको विदित है कि कम्पनी से संबंधित सभी उत्पादनात्मक कार्यकलाप अक्तूबर, 2000 से बन्द कर दिए गए हैं । उस तारीख से लेकर समीक्षाधीन वर्ष तक कम्पनी द्वारा उत्पादन से संबंधित कोई भी कार्यकलाप नहीं किए गए हैं । बी.आई.एफ.आर./ए.ए.आई.एफ.आर. और श्रम मंत्रालय द्वारा कम्पनी को 01–03–2001 से बन्द कर दिए जाने के आदेश जारी किए जाने के फलस्वरूप कम्पनी के सभी कर्मचारियों की सेवाओं को दिनांक 1 मार्च, 2001 से समाप्त कर दिया गया और उनके अंतिम लाभ से संबंधित सभी मामले निपटाए गए हैं ।

कम्पनी की स्थिति

भारत सरकार एवं कम्पनी के प्राधिकरण द्वारा कम्पनी की परिसम्पत्तियों को किसी योग्य खनन कम्पनी को सार्वभौमिक निविदा सूचना द्वारा बेचकर उसे फिरसे चालू करने का निर्णय मंत्रिमण्डल द्वारा वर्ष 2006 के दौरान लिया गया । सार्वभौमिक निविदा सूचना को जारी करने के लिए तैयार किए गए मसौदे में कुछ संशोधन करते हुए कर्नाटक राज्य के उच्च न्यायालय के माननीय खण्डपीठ ने जुलाई 2009 के दौरान सार्वभौमिक निविदा सूचना जारी करने के लिए अपनी अनुमति प्रदान की । कम्पनी और सरकार ने माननीय खण्डपीठ द्वारा निविदा सूचना के मसौदे में किए गए संशोधनों को रद्द किए जाने की अपील की गयी । माननीय खण्डपीठ ने अपने अगस्त, 2010 के निर्णय द्वारा कम्पनी एवं सरकार के अपील को खारिज कर दी और केन्द्र सरकार को निर्देशित किया कि कम्पनी को पुनर्जीवित करने के मामले पर नए सिरे से विचार किया जाए । इस पर कम्पनी एवं सरकार द्वारा भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में विशेष लीव पिटिशन (एस.एल.पी.) दायर किया गया । कम्पनी के भूतपूर्व कर्मचारियों द्वारा भी ऐसा ही एक विशेष लीव पिटिशन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है । भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 09–07–2013 को विशेष लीव पिटिशन पर अपना निर्णय सुनाते हुए कर्नाटक राज्य के माननीय

खण्डपीठ के निर्णय और विशेष लीव पिटिशनों को रद्द कर केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के निर्णय के अनुसार स्वर्ण खदानों की परिसम्पत्तियों को बेचे जाने हेतु सर्वभौमिक निविदा सूचनाएँ आमंत्रित करने के लिए अपनी अनुमति प्रदान की ।

इसबीच, कम्पनी के सभी चार खनन पट्टों की समयावधि समाप्त हो गयी है । खनन पट्टों के नवीकरण से संबंधित आवेदनपत्र कर्नाटक राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन हैं जबकि आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा सभी तीन खनन पट्टों के नवीकरण को तिरस्कृत कर दिया गया है ।

एमएमडीआर अधिनियम में वर्ष 2015 के दौरान किए गए संशोधनों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड का दायित्वि कुछ शर्तों के साथ कर्नाटक राज्यपाल द्वारा अपना लिए जाने का प्रस्ताव रखा । किन्तु, कर्नाटक राज्य सरकार ने अपने पत्र संख्याः सीआई 42 सीएमसी 2015 दिनांक 03–06–2016 द्वारा सूचित किया है कि भारत के राष्ट्रपति के नाम पर मौजूद बीजीएमएल के शेयर नाममात्र की राशि के भुगतान पर, जहाँ है जिस हालत में है, के आधार पर कर्नाटक राज्यपाल को अंतरित किए जाने के भारत सरकार का प्रस्ताव उन्हें स्वीकार्य नहीं है ।

एमएमडीआर अधिनियम 2015 में संशोधन के कारण संबधित नियमों को ध्यान में रखते हुए खुली नीलामी पद्धति को छोडकर खनन पट्टे किसी को अंतरित नहीं किए जा सकते हैं । कर्नाटक सरकार ने सूचित किया है कि कम्पनी की परिसंपत्तियों को बेचकर कम्पनी का निपटान किए जाने की स्थिति में खनन पट्टे सफल नीलामी बिडर को न होकर बीजीएमएल के पक्ष में नवीकृत किए जाएँगे । ऐसी स्थिति में केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के 2006 के निर्णय का अनुपालन कठिन है ।

भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड (बीजीएमएल) के लिए आगे का मार्ग और अन्य संभावआनों के अध्ययन और उसके भविष्य के लिए एक कार्यप्रणाली सिफारिश करने के लिए खान मंत्रालय द्वारा अपने दिनांक 18 अप्रैल, 2019 के पत्र अनुसार एक अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है । इसके अंतर्गत एक परामर्श प्रबन्धक तैनात किया गया है ताकि कम्पनी से संबंधित न्यायालयाधीन मामलों, परिसंपत्तियों, भूमि, संयंत्र एवं मशीनरी, स्क्रैप, भवन आदि के मूल्यांकन की समीक्षा की जा सके और स्वर्ण अयस्क, मिल के रेत के ढेरों का अध्ययन कर बीजीएमएल के भविष्य के लिए एक प्रौद्योगिकीय वाणिज्यिक साध्यता प्रतिवेदन का सुझाव दिया जा सके ।

खान मंत्रालय द्वारा क्रमशः खनिज गवेषण निगम लिमिटेड (एमईसीएल) और गैर–लौह प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र (एनएफटीडीसी), हैदराबाद के माध्यम से कम्पनी के भविष्य के लिए आगे के मार्ग पता लगाया जा रहा है । कार्यक्रम प्रबन्धक के रूप में एमईसीएल को बीजीएमएल के लिए एक प्रबन्धन परामर्शदाता तैनात करने का दायित्व सौंपा गया है ।

एनएफटीडीसी द्वारा बीजीएमएल के मिल के रेत के ढेरों पर प्रारंभिक अध्ययन कार्य किया गया और चार पलाडियमों, जिसके अंतर्गत दुर्लभ खनिज उपलब्ध हैं, का पता लगाया गया है । मिल के रेत के ढेरों से गैर–सयनाइड प्रक्रिया के माध्यम से स्वर्ण के उत्पादन और स्वर्ण अयस्क के साथ सम्मिलित अन्य दुर्लभ खनिजों के उत्पादन के लिए एक पायलट संयंत्र आधारित अनुसंधान कार्य के लिए एनएफटीडीसी द्वारा खान मंत्रालय के समक्ष एक प्रस्ताव रखा गया । बीजीएमएल के मिल के रेत के ढेरों के प्रसंस्करण के लिए स्थापित पायलट संयंत्र 6 नवम्बर, 2020 से अपना कार्य आरंभ कर दिया है और आरंभिक 10 टन नमूनों के प्रसंस्करण से उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हुए हैं ।

एमईसीएल, टीईएफआर और एनएफटीडीसी द्वारा किए गए अध्ययन कार्य के प्रतिवेदन प्रबन्धन परामर्शदाता के लिए आवश्यक इनपुट सामग्री सिद्ध हो सकता है । एमईसीएल द्वारा मेसर्स डीएमटी को कम्पनी के प्रबन्धन परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया है । बीजीएमएल के भविष्य से संबंधित कोई भी निर्णय प्रबन्धन परामर्शदाता से प्राप्त होनेवाले प्रौद्योगिकीय वाणिज्यिक साध्यता प्रतिवेदन के आधार पर ही लिया जाएगा ।

कोलार स्वर्ण क्षेत्र में उपलब्ध बीजीएमएल की कुल 12109 एकड भूमि में से 7,170.24 एकड भमि का परिवर्तन 31 मार्च, 2021 तक बीजीएमएल के पक्ष में "बंगारदगनि" गॉव के सर्वेक्षण संख्याएँ 1 और 2 के अंतर्गत किया गया है और इससे संबंधित आरटीसी भी बीजीएमएल के पक्ष में जारी किया गया है । बची हुई बीजीएमएल

की भूमि जो 52 विभिन्न सर्वेक्षण संख्याओं के अंतर्गत 29 गॉवों में मौजूद है, की प्राप्ति की गयी है । आरटीसी के अनुसार बीजीएमएल की भूमि का समाधान और बिक्री पट्टे की तैयारी से संबंधित कार्य की प्रगति हो रही है । बीजीएमएल के पक्ष में परिवर्तित भूमि के चारोओर खम्बे लगा कर उसे अलग दर्शाने का निर्णय लिया गया है । मारिकुप्पम और कुप्पम के बीच रेलवे मार्ग के लिए आवश्यक भूमि कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा भारतीय रेल्वे को समर्पित किया जाएगा ताकि बेगलूरु और चेन्नई के बीच एक वैकल्पिक मार्ग का विकास किया जा सके । इससे केजीएफ में प्रस्तावित औद्योगिक पार्क के विकास का मार्ग भी सुगम हो सकेगा ।

एमईसीएल द्वारा दो ब्लाकों, यथा मेकटागर्ट और ओरिएण्टल के अंतर्गत गवेषणात्मक अध्ययन कार्य किया गया है और इसके अलावा बीजीएमएल के बेतरायस्वामी ब्लाक के अंतर्गत गवेषणात्मक अध्ययन भी एमईसीएल को सौंपा गया है । इसके अंतर्गत बीजीएमएल के बेतरायस्वामी ब्लाक के पट्टे की भूमि में ड्रिलिंग से संबंधित कार्यकलप पूरा किए गए हैं । बेतरायस्वामी ब्लाक के भूवैज्ञानिक पतिवेदन के अनुसार यह पता लगाया गया है कि यह क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से लाभकारी नहीं है ।

कम्पनी के भूतपूर्व–कर्मचारियों द्वारा कम्पनी के खिलाफ विभिन्न न्यायालयों में अनेक मामले दायर किए गए हैं । इन सभी मामलों का निपटान किया जा रहा है । कम्पनी के कार्यकलापों का संचालन सीमित संख्या में ठेके आधार पर नियुक्त कम्पनी के भूतपूर्व कर्मचारियों, बी.एस.एफ.,जी.एस.आई., और एच.सी.एल. के कर्मचारियों और सुरक्षा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बाहरी सुरक्षा अभिकरण के माध्यम से नियुक्त सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा, भारत सरकार से प्राप्त होनेवाली सहयाता अनुदान (गैर–योजना) की राशि से किया जा रहा है ।

आभार

इस अवसर पर मैं कम्पनी के संकटमय स्थिति के दौरान भारत सरकार के खान मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों, राज्य सरकारों और भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक, जिन्होंने सर्वदा अपना सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान किया है, के प्रति अपना हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ । इसके अलावा मुझे सनदी लेखापरीक्षकों, बैंकों, स्थानीय प्रशासन, कम्पनी के वर्तमान आवश्यक कर्मचारियों और अन्य अधिकारियों एवं अभिकरणों से पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है । इसके लिए मैं उनके प्रति भी अत्यंत आभरी हूँ ।

कम्पनी के कार्यकलापों के संचालन में मुझे निदेशक मण्डल के अपने सहयोगियों से प्राप्त सहयोग और मार्गदर्शन के लिए मैं उनके प्रति अपना हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ ।

Ranjit Rath

कोलार स्वर्ण क्षेत्र,
15 नवम्बर, 2021.

(डा. रंजीत रथ)
प्रबन्ध निदेशक
निपसं 8275277

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में,

शेयरधारी

भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड

सज्जनों,

आपके निदेशकों को कम्पनी की **उनचासवीं** वार्षिक रिपोर्ट तथा उसके साथ 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित लेखा विवरण प्रस्तुत करते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है ।

कम्पनी की वर्तमान स्थिति और परिस्थितियों को देखते हुए, जैसाकि लेखों से संबंधित टिप्पणियों के अंतर्गत उल्लेख किया गया है, 31 मार्च. 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी की वार्षिक लेखों की तैयारी "चालू कम्पनी" के आधार पर ही की गयी है । कम्पनी की परिसंपत्तियों के मूल्यांकन से संबंधित मामला गोपनीय तथा न्यायालयाधीन है ।

समीक्षाधीन वर्ष 2020–21 के दौरान कम्पनी का उत्पादन, कारोबार, क्षमता उपयोग, गवेषण, तकनीक का हस्तांतरण, विदेशी मुद्रा में अर्जन और खर्च, कर्मचारियों की नियुक्ति, कच्चेमाल/भण्डार सामग्री आदि की खरीद से संबंधित सामान्य कारोबार और गतिविधियों का विवरण 'कुछ भी नहीं' है ।

आगे के कार्यकलाप :

गवेषण बौर खनिज लाभ अध्ययन :

खनिज गवेषण निगम लिमिटेड (एमईसीएल) द्वारा मेक टागर्ट वर्टिकल शाफ्ट के पश्चिमी लोड के अंतर्गत 1.6 वर्ग कि.मी. से भी अधिक क्षेत्र में 1.7 कि.मी. लम्बाई में 16 बोरहोल द्वारा कुल 6095.50 मी. के मीटरेज में गवेषणात्मक कार्य किया गया और ओरिएण्टल लोड तथा अन्य लोड के कुछ भागों में 1.3 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र में 1.2 कि.मी. की लम्बाई में 21 बोरहोल द्वारा कुल 8395 मी. के मीटरेज पर गवेषणात्मक कार्य किया गया ।

इस अध्ययन कार्य के अंतर्गत वहॉ की भौगोलिक स्थिति का नक्शाकरण, रसायनिक विश्लेषण, पेट्रोग्रैफिक और खनिजीय अध्ययन, निर्दिष्ट गुरुत्व का आकलन और खनिज लाभ आदि अध्ययन कार्य किए गए । इन गवेषणात्मक अध्ययनों से प्राप्त खनिज स्रोतों का विवरण नीचे बताए अनुसार है :–

लोड का नाम	**ग्रेड**	**कुल खनिज स्रोत 0.5 ग्रा/प्रति टन के आधार पर**	**ग्रेड**	**0.1 ग्रा/टन के आधार पर कुल स्रोत**
मेक टागर्ट पश्चिमी और समांतर लोड	2.64 ग्रा/टन	1.296 मिलियन टन	2.97 ग्रा/टन	1.044 मिलियन टन
लोड का नाम			ग्रेड	0.5 ग्रा/टन के आधार पर कुल स्रोत
ओरिएण्टल लोड, मेक टागर्ट पश्चिमी लोड और गैर–वर्गीकृत लोड			1.14 ग्रा/टन	1.008 मिलियन टन

आकलित खनिज स्रोतों का वर्गीकरण इनफर्ड मिनरल रिसोर्सेस केटगिरी यूएनएफसी के अंतर्गत किया गया है ।

एमईसीएल द्वारा बीजीएमएल के मिल के रेत के ढेरों पर भी विस्तृत अध्ययन कार्य अपनाया गया है । गवेषणात्मक बोरहालों में से पॉच नमूने के बोरहोल में से पॉच ड्रिल नमूनों के अंतर्गत खनिज लाभ का अध्ययन कार्य क्षेत्रीय खनिज संस्करण प्रयोगशाला, भारतीय खान ब्यूरो, बेंगलूरु में किया गया । एमईसीएल के गवेषणात्मक कार्य से संबंधित प्रतिवेदन (2017) से पता चलता है कि 32.25 मिलियन टन मिल के रेत के ढेरों से 0.75 ग्राम प्रति टन के ग्रेड पर स्वर्ण उपलब्ध हो सकता है । कुल खनिज लाभ के स्रोतों से 51.3 प्रतिशत स्वर्ण की प्राप्ति हो सकती है ।

भारत सरकार के खान मंत्रालय के विज्ञान और प्रौघोगिकी कार्यक्रम के अंतर्गत मिल के रेत के ढेरों से स्वर्ण और अन्य धातुओं को प्राप्त करने का कार्य एनएफटीडीसी, हैदराबाद को सौंपा गया है । एनएफटीडीसी द्वारा मार्च, 2021 के दौरान खान मंत्रालय को एक तकनीकी मूल्यांकन साध्यता प्रतिवेदन समर्पित किया गया है । एनएफटीडीसी द्वारा मिल के रेत के ढेरों से गैर–सयनाइड के माध्यम से किए गए अध्ययन से पता चला है कि इन रेत के ढेरों में स्वर्ण के अलावा पलाडियम और रोढियम भी उपलब्ध है । इन धातुओं के उत्खनन के पश्चात शेष मिट्टी का उपयोग ईंट जैसी निर्माण सामग्री के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है । यह अध्ययन कार्य अनुसंधान और विकास के कार्यकलाप के अंतर्गत किया गया है और इसकी लागत से संबंधित कोई विवरण उपलब्ध नहीं है ।

प्रबन्धन परामर्शदाता की नियुक्ति :

बीजीएमएल के आगे के कार्यकलापों के कार्यक्रम प्रबन्धक के रूप में एमईसीएल द्वारा मेसर्स डीएमटी परामर्शदाता प्राइवेट लिमिटेड, कोलकता की नियूक्ति बीजीएमएल से संबंधित नीति, न्याय और वाणिज्यिक मामलों के लिए परामर्शदाता के रूप में की गयी है ताकि बीजीएमएल के भविष्य के कार्यकलापों के संदर्भ में आवश्यक सुझाव दे सके । डीएमटी द्वारा परिकल्पना प्रतिवेदन और न्यायिक समीक्षा प्रतिवेदन समर्पित किया गया है । अंतिम प्रतिवेदन नवम्बर, 2021 के दौरान समर्पित किए जाने की संभावना है ।

बीजीएमएल की भूमि का सर्वेक्षण और परिवर्तन :

पंजीकृत दस्तावेजों के अनुसार बीजीएमएल के पास कोलार जिले में 12109 एकड आर 28 गुण्टा भूमि उपलब्ध है । किन्तु राजस्व विभाग के अभिलेखों में इसका समुचित उल्लेख नहीं है और बीजीएमएल के पक्ष में इसका उचित परिवर्तन नहीं किया गया है । बीजीएमएल द्वारा इस संबंध में सर्वेक्षण कार्य किया गया और भूमि के उपयोग के अनुसार विभिन्न प्रकार की भूमि का वर्गीकरण किया गया है । जिलाधिकारियों और राजस्व विभाग के अधिकारियों से नियमित संपर्क से कम्पनी की भूमि का सर्वेक्षण किया गया और केजीएफ तालुक के बंगारदगनि नामक गॉव, जिसे राजस्व विभाग के अभिलेखों में सम्मिलित नहीं किया गया था, को अब सम्मिलत किया गया जिसकी मात्रा 7170 एकड और 24 गुण्टा है जोकि भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड (बीजीएमएल) की है, जिसे सर्वेक्षण संख्याएॅ 1 और 2 बंगारदगनि नामक गॉव के रूप में पता लगाया गया और आरटीसी तथा पाहणी बीजीएमएल के पक्ष में जारी किया गया है । शेष 4939 एकड और 04 गुण्टा भूमि से संबंधित आरटीसी और पाहणी के लिए प्रयास किया जा रहा है । 7170 एकड और 28 गुण्टा भूमि के लिए एस एण्ड डी नक्शा प्राप्त करने के लिए सर्वेक्षण अभिकरण सीड टेक इन्नोवेशन्स को तैनात किया गया है ताकि कर्नाटक राज्य सरकार के अधिकृत सर्वेक्षण की मौजूदगी और संपर्क में बीजीएमएल की 24 गुण्टा भूमि को कोलार जिले के बंगारदगनि गॉव के सर्वेक्षण संख्याएॅ 1 और 2 के अंतर्गत जोडे जाने हेतु कर्नाटक राज्य सकरकार के सक्षम प्राधिकरण के हस्ताक्षर एवं मोहर के साथ प्राधिकृत सर्वेक्षण नक्शा प्राप्त किया जा रहा है ।

वित्त :

वर्ष के दौरान कम्पनी के राजस्व के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान, कम्पनी के उपनगर से प्राप्त किराए और बैंकों में जमा राशि से प्राप्त ब्याज आदि सम्मिलित है । कम्पनी की सेवा में कोई नियमित कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं । कम्पनी के कार्यकलापों की देखरेख बीएसएफ, जीएसआई, एमईसीएल और एचसीएल से प्रतिनियुक्त कुछ नाममात्र के कर्मचारियों तथा बाहरी सुरक्षा अभिकरण द्वारा की जा रही है ।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी के वित्तीय परिणामों की प्रमुख बातें नीचे बताए अनुसार हैं :–

(करोड रुपए में)

	विवण	2020-21	2019-20
I	**राजस्व :**		
	अन्य आय किराया/ब्याज/विविध	1.05	1.37
II	**व्यय :**		
	कर्मचारी लाभकारी लागत	(0.31)	(0.34)
	सुरक्षा और मजदूर ठेका	(5.26)	(3.91)
	अन्य व्यय	(0.67)	(0.54)
	विकास कार्य व्यय–एमईसीएल	(1.04)	0.00
	प्रचालन कार्यों से लाभ/(हानि)	**(6.23)**	**(3.42)**
III	**अनुदान :**		
	भारत सरकार से अनुदान	7.00	4.50
IV	**ब्याज और मूल्यह्रास:**		
	वित्तीय लागत	(70.24)	(114.29)
	मूल्यह्रास	(0.15)	(0.17)
V	**समायोजन:**		
	वापस लिया गया प्रावधान	239.68	32.94
	पूर्वावधि समायोजन (निवल)	(22.90)	1.02
	वर्ष के लिए निवल लाभ/(हानि)	**147.39**	**(79.41)**
	31-03-2021 को संचित निवल लाभ/(हानि)	**(1965.33)**	**(2112.72)**
	पूँजी आरक्षण (भूमि)	**0.61**	**0.61**
	शेयर पूँजी	**51.06**	**51.06**
	निवल मूल्य (ऋणामक)	**(1913.66)**	**(2061.05)**

निदेशकों के दायित्व का विवरण :

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) के प्रावधानों के अनुसार आपके निदेशकों द्वारा सूचित किया जाता है कि :

क) वार्षिक लेखों की तैयारी के लिए कम्पनी द्वारा लागू माने गए लेखा मानकों का अनुपालन किया गया है, जिन्हें कम्पनी की उपरोक्त विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित माना गया है और सामग्री के निर्गमन के संबंध में वार्षिक लेखों के अंतर्गत समुचित स्पष्टीकरण एवं विवरण प्रस्तुत किया गया है ।

ख) चुनी गयी लेखा नीतियों का नियमित अनुसरण किया गया है । 31 मार्च, 2021 को कम्पनी के कार्यकलापों और लाभ/हानि के बारे में सही और समुचित स्वरूप को दर्शाने के लिए तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निर्णय और आकलन किए गए हैं ।

ग) कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा और धोखाघडी और अन्य अनियमितताओं के रोकथाम के लिए कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार लेखों के रखरखाव के लिए समुचित और पर्याप्त अभिलेख रखे गए हैं ।

घ) कम्पनी की परिसम्पत्तियों की बिक्री में हो रहे विलम्ब और लेखों की तैयारी के लिए वैंकल्पिक आधार के अभाव में कम्पनी के वार्षिक लेखों को **चालू कम्पनी** के आधार पर ही तैयार किया गया है । फिरभी, यह अनुमान लगाया गया है कि कम्पनी की परिसंपत्तियों को क्षति पहुँची होगी जिसकी जानकारी नीलामी प्रक्रिया के बाद ही प्राप्त हो सकती है ।

निगम प्रशासन पर एक रिपोर्ट :

कम्पनी के शेयरों को स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं किया गया है । अतः स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने के अनुबन्ध की धारा 49 और अन्य उपबन्ध, यदि कोई हों, कम्पनी पर लागू नहीं हैं ।

वर्ष 2001 से उत्पादन से संबंधित कार्यकलाप बन्द कर दिए जाने से कम्पनी को एमसीए पोर्टल में एक बन्द कम्पनी के रूप में घोषित किया गया है ।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान एमसीए पोर्टल को सक्रिय बनाने का प्रयास किया गया है ।

कम्पनी की वार्षिक आम बैठकें नियमित रूप से संपन्न हुई हैं । पिछले तीन वित्तीय वर्षों की बैठकें नीचे बताए गए दिनांक और स्थान पर हुई हैं :

वर्ष	दिनांक	स्थान	समय
2017–18	24–09–2018	पंजीकृत कार्यालय, के.जी.एफ	12.30 बजे
2018–19	27–09–2019	पंजीकृत कार्यालय, के.जी.एफ	11.30 बजे
2019–20 (आनलाइन)	**31–12–2020**	**पंजीकृत कार्यालय, के.जी.एफ**	**11.30 बजे**

लेखा परीक्षा समिति :

उत्पादन से संबंधित कोई कार्यकलाप न होने के कारण कम्पनी की परिसंपत्तियों की प्रस्तावित बिक्री से संबंधित कार्यवाही को छोडकर, जिसे कर्नाटक राज्य के उच्च न्यायालय के निर्देशों पर चलाए जा रहे हैं, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा समिति का गठन नहीं किया गया है ।

सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और स्पष्टीकरण या प्रत्येक मुद्दे की योग्यता पर टिप्पणी या प्रतिकूल टिप्पणी या लेखा परीक्षकों द्वारा उनके प्रतिवेदन में किए गए अस्वीकार (कम्पनी अधिनियम की धारा 134(3)(एफ)(आई) को देखें)

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की टिप्पणी और उस पर कम्पनी के उत्तर को निदेशकों की रिपार्ट 2020–21 के अनुलग्नक के रूप में संलग्न किया गया है ।

निदेशक मण्डल :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा श्री रंजीत रथ, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, खनिज गवेषण निगम लिमिटेड (खान मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक उद्यम) को दिनांक 01–01–2021 से 31–12–2021 तक या इस संबंध में आगे के आदेश जारी होने तक तथा जो भी पहले आए के आधार पर खान मंत्रालय के आदेश संख्याः धातु 2–जीओ10/2/2020–धातु 2, दिनांक 10–02–2021 द्वारा भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक का अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है ।

मंत्रालय द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि श्री अरुण गोयल, महा प्रबन्धक (वित्त), खनिज गवेषण निगम लिमिटेड (खान मंत्रालय के अधीन एकस्वयंत्तशासी उपक्रम) को दिनांक 01–07–2021 से 31–03–2021 तक या इस संबंध में आगे के आदेश जारी होने तक जो भी पहले आए के आधार पर खान मंत्रालय के आदेश संख्याः धातु 2–जीओ10/2/2020–धातु 2, दिनांक 18–06–2021 द्वारा भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड के निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया गया है ।

कम्पनी के निदेशक मण्डल के सभी निदेशक अंशकालिक निदेशक हैं जिन्हें भारत सरकार द्वारा नामित किया गया है और उन्हें कोई बैठक शुल्क देय नहीं है ।

कम्पनी (निदेशक मण्डल की रिपोर्ट में विवरणों की घोषणा) नियम, 1988 अंतर्गत उल्लेख

प्रपत्र – ए भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड के लिए लागू नहीं है ।

प्रपत्र – बी (नियम 2 देखें) तकनीक के अपनाए जाने और अनुसंधान एवं विकास से संबंधित विवरणों की घोषणा से संबंधित प्रपत्र : कुछ नहीं

प्रपत्र – सी विदेशी मुद्रा का अर्जन एवं व्यय 2020–21 : कुछ नहीं

लेखा परीक्षक

भारत नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक द्वारा उनके पत्र संख्या सीए.वी/सीओवै/केन्द्र सरकार, बीजीएमएल (1)/359 दिनांक 18–08–2020 द्वारा मेसर्स पाम्पन्ना एण्ड को, (पंजीकरण संख्या 006976एस), सनदी लेखाकार, बेंगलूर, को 31–3–2021 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया है ।

आभार

आपके निदेशक कम्पनी के कायकलापों को चलाने में खान मंत्रालय और भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों अधिकारियों, कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश के राज्य सरकार के अधिकारियों और अन्य अभिकरणों द्वारा समय समय पर दी गयी सहायता और महत्वपूर्ण सहयोग के लिए उनके प्रति आभारी हैं ।

आपके निदेशक समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विभिन्न बैंकों द्वारा दिए गए सहयोग की प्रशंसा करते हुए उसे अभिलेखित करते हैं । इस अवसर पर आपके निदेशक भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक और सनदी लेखाकारों द्वारा दिए गए अमूल्य सहयोग के लिए उनके प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं ।

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से

Ranjit Rath

(डा. रंजीत रथ)
प्रबन्ध निदेशक
निपसं 8275277

दिनांकः 15–11–2021.

दस वर्षों की वित्तीय स्थिति पर एक दृष्टिपात

(करोड रुपए में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
अन्य आय	0.98	0.97	0.82	0.94	1.09	2.63	1.17	1.05	1.37	1.05
गैर योजना अनुदान भारत सरकार	1.40	1.50	1.50	3.65	2.70	4.23	3.56	4.50	4.50	7.00
सरकारी अनुदान सेवासमाप्ति उपदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
सरकारी अनुदान ग्लोबल टेण्डर	0.00	0.00	0.37	0.27	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सरकारी अनुदान न्याययालयीन मामले	0.00	0.00	0.00	0.00	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ईक्विटी	51.06	51.06	51.06	51.06	51.06	51.06	51.06	51.06	51.06	51.06
पूँजी आरक्षण	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61
प्रतिभूत ऋण-SBI	5.58	5.58	5.58	5.58	5.58	5.58	5.58	5.58	5.58	0.00
प्रतिभूत ऋण-SBI ब्याज	38.32	48.68	61.48	77.30	96.85	121.01	150.87	187.77	233.39	0.00
भारत सरकार ऋण	219.22	219.22	219.22	219.22	219.22	219.22	219.22	219.22	219.22	219.29
भारत सरकार ऋण पर ब्याज	1014.45	1071.32	1129.25	1188.25	1248.31	1310.65	1372.49	1435.76	1500.10	1574.22
निवल ब्लाक	5.20	4.66	4.21	3.63	2.76	2.52	2.30	2.10	1.93	1.79
निवल लाभ	(69.86)	(74.97)	(76.86)	(85.58)	(76.60)	(89.95)	(100.48)	(103.96)	(79.41)	147.39
निवल मूल्य	(1374.01)	(1448.98)	(1525.68)	(1611.25)	(1687.86)	(1777.81)	(1878.29)	(1982.25)	(2061.05)	(1913.66)

वर्ष 2020–21 के दौरान कम्पनी द्वारा अपनाई गयी प्रमुख लेखा नीतियॉ

1. कम्पनी के लेखे और लेखा विवरण तैयार करने की पद्धति

कम्पनी के इन वित्तीय लेखों की तैयारी भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा नीतियों (इण्डियन जीएएपी) और कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार की गयी है । इन वित्तीय विवरणों की तैयारी कम्पन अधिनियम, 2013 की अनुसूची 3 के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप अनुसार की गयी है । पिछले वर्षों के ऑकडों को वर्तमान वर्ष के वर्गीकरणों/उल्लेखों के अनुसार समुचित समूहों में डाला गया/उनका फिरसे वर्गीकरण किया गया है ।

2. आकलनों का उपयागे

समीक्षाधीन वर्ष के लिए कम्पनी के प्रबन्धन द्वारा कम्पनी की परिसंपत्तियों और देनदारियों (आकस्मिक देनदारियों समेत) का आकलन और अनुमान लगाया गया है । प्रबन्धन का विश्वास है कि कम्पनी के वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए कम्पनी द्वारा किए गए आकलन विवेकपूर्ण और समुचित है । इन आकलनों के कारण आकलनों और वास्तविक ऑकडों में भविष्य के परिणामों में अंतर दिखाई दे सकता है । इन आकलनों को उनके तैयार किए गए वर्ष के लिए समुचित और सही माना गया है ।

3. नकद और नकदी के समतुल्य राशियॉ

नकद के अंतर्गत हस्तगत नकद और बैंक के डिमाण्ड जमा राशियॉ सम्मिलित हैं ।

4. नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह के विवरण की तैयारी अप्रत्यक्ष पद्धति के अनुसार किया गया है जिसके अंतर्गत विशेष मदों से पूर्व लाभ (हानि) और गैर–नकदी प्रकृति के कारोबार के लिए कर का समायोजन, इससे पूर्व अथवा भविष्य अन्य स्थगित अथवा संचित राशियाँ सम्मिलित है । कम्पनी के प्रचालन कार्यों, निवेशों और वित्तीय कार्यकलापों को उपलब्ध जानकारी के अनुसार अलग किया गया है ।

5. मूल्यह्रास और परिशोधन

स्थायी परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास को कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 2 के भाग ग में विनिर्दिष्ट रूप में सीधीपद्धति के अनुसार किया गया है ।

6. व्यय और आय

सभी व्यय और आय का लेखाकरण संचित राशि के आधार पर किया गया है ।

7. कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति/सेवा समाप्ति लाभ

क) सेवा समाप्त कर्मचारियों के उपदान भगतान के लिए उपदान अधिनियम और उपदान नियमों के अनुसार प्रावधान की व्यवस्था की गयी है ।

ख) कामगार/कर्मचारियों के लिए क्षतिपूर्ति, सेवानिवृत्ति पर देय यात्रा भत्ता/सेवा समाप्ति की क्षतिपूर्तियों, यदि कोई हो, के लिए प्रवधा की व्यवस्था की गयी है अथवा उनके अंतिम निबटान के भुगतानों के साथ संचित राशियों के रूप में किया गया है ।

ग) भविष्य निधि, ईएसआई और छुट्टी को भुनाए जाने की देनदारियों को संचित राशियों के रूप में किया गया है ।

8. स्थायी परिसंपत्तियॉ

(1) भूमि

दिनांक 20 अगस्त, 1978 को हुई बोर्ड की 34 वीं बैठक में बोर्ड द्वारा अनुमोदित रु. 500 प्रति एकड की दर पर कोलार गोल्ड माइनिंग उनक्रम से अपनाई गयी भूमि का मूल्यांकन किया गया है । तदुपरान्त अपनाई गयी भूमि को निर्धारित या प्राप्त या खरीदी मूल्य के अनुसार खाते में लिया गया है ।

(2) अनुदान

भारत सरकार अथवा अन्य अभिकरणों से प्राप्त किसी विशिष्ट अनुदान से अपनाई गयी परिसंपत्ती का पूँजीकरण मूल लागत से अनुदान राशि को घटाने के बाद किया गया है । तदनुसार मूल्यह्रास की व्यवस्था की गयी है । अन्य अनुदानों का लेखाकरण समुचित समायोजनों के साथ आय के रूप में किया गया है ।

9. वस्तुसूची का मूल्यांकन

(1) कच्चेमाल, भण्डार सामग्री और कलपुर्जों को तुलित औसत लागत पर दर्शाया गया है ।

(2) स्वर्ण के अंतिम स्टाक और चॉदी का मूल्यांकन लागत अथवा प्राप्त निवल मूल्य, जो भी कम है, के आधार पर किया गया है

(3) कारखानों की तैयार सामग्री के अंतिम स्टाक का मूल्यांकन अनुमानित लागत अथवा निवल प्राप्त मूल्य, जो भी कम है, के आधार पर किया गया है ।

(4) स्वर्ण की प्राप्ति के अवसर पर उत्पन्न होनेवाले ताम्बे के स्टाक का मूल्यांकन नहीं किया गया है । इसे उसकी खपत/बिक्री के आधार पर खाते के अंतर्गत लिया गया है ।

(5) वर्ष के अंत में खानों और मिलों के पास पडे हुए अयस्क के स्टाक का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है ।

10. प्रावधान और अकास्मिकताएँ

प्रावधानों (सेवा निवृत्ति लाभ को छोडकर) को उनके वर्तमान मूल्य से कम आंका नहीं जा सकता है और उनका आकलन तुलनपत्र के दिनांक के लिए समुचित रूप में किया जाना आवश्यक है कि उनका न्यायसंगत रूप में निबटाया जा सके । इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र के दिनांक पर किया जाता है और इसका समायोजन किया जाता है ताकि वर्तमान आकलनों को सर्वोत्तम रूप में दर्शाया जा सके । आकस्मिक देनदारियों के बारे में लेखों पर टिप्पणियों के अंतर्गत समुचित रूप में दर्शाया गया है ।

11. अप्रचलित परिसंपत्ती/सामग्री और स्क्रैप का निपटान

जबभी अधिक मात्रा में परिसंपत्तियों का निपटान किया जाता है तो उसके मूल्य को स्थायी परिसंपत्तियों से निकालते हुए उसका समुचित उल्लेख किया जाता है । यदि अल्प मात्रा में परिसंपत्तियों का निपटान किया जाता है, जिसके मूल्य का उल्लेख अभिलेखों में नहीं किया गया है या जिसका मूल्यांकन संभव नहीं है, तो ऐसी परिसंपत्तियों के मूल्य को समायोजित नहीं किया गया है ।

सक्रिय इस्तेमाल से हटाई गयी परिसंपत्तियॉ जिन्हें निपटान के लिए रखा गया है, को स्थायी परिसंपत्तियों की सूची से हटाने के बजाय उनके निवल पुस्तक मूल्य पर रखा गया है ।

अप्रचलित सामग्री/स्क्रैप की बिक्री को आय के रूप में खाते के अंतर्गत लिया गया है ।

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से *30–07–2021*

ह0 अरुण गोयल	**ह0 डा. डी. वीणा कुमारी**	**ह0 फरीदा एम. नायक**	**ह0 डा. रंजीत रथ**
निदेशक (वित्त)	निदेशक	निदेशक	प्रबन्ध निदेशक
निपसं: 8923137	निपसं: 8890469	निपसं: 7612050	निपसं: 8275277

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते **पाम्पन्ना एण्ड कम्पनी**
सनदी लेखाकार
पंजीकारण संख्याः 010225एस

ह0 पाम्पन्ना
प्रोप्राइटर
सदस्यता संख्या : 207100

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 04–08– 2021

31-03-2021 को तुलन पत्र

(करोड रुपए में)

क्रम. सं.	विवरण	टिप्पणी	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
I	**क) ईक्विटी और देनदारियॉं:**			
	1. शेयरधारियों की निधि:			
	क) शेयर पूँजी	**1**	**51.06**	51.06
	ख) आरक्षण और अधिशेष	**2**	**-1,964.73**	-2,112.12
	2. गैर–चालू देनदारियॉं:			
	क) दीर्घकालिक लेनदारियॉं	**3**	**1,793.51**	1,958.29
	ख) अन्य दीर्घकालिक लेनदारियॉं	**4 to 7**	**128.61**	110.81
	3. चालू देनदारियॉं:			
	क) अन्य चालू देनदारियॉं	**8 to 10**	**7.29**	6.38
	ख) अल्प कानिक प्रावधान	**10.1**	**0.04**	0.10
II	**कुल**		**15.78**	14.52
	ख) परिसंपत्तियॉं:			
	1. गैर–चालू परिसंपत्तियॉं:			
	क) स्थायी परिसंपत्तियॉं			
	(1) प्राप्य परिसंपत्तियॉं	**11**	**1.79**	1.93
	. ख) दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	**12 to 13**	**3.06**	3.06
	ग) अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियॉं	**14**	**0.27**	0.27
	2. चालू परिसंपत्तियॉं :			
	क) नकद और नकदी समतुल्य	**15**	**8.53**	6.47
	ख) अन्य चालू परिसंपत्तियॉं	**16 to 18**	**2.14**	2.79
	लेखों पर टिप्पणी संख्याएँ 1 से 28 और प्रमुख लेखा नीतियॉं लेखों के ही भाग हैं ।			
	कुल		**15.78**	14.52

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से *30–07–2021*

ह0 अरुण गोयल	**ह0 डा. वीणा कुमारी डी.**	**ह0 फरीदा एम. नायक**	**ह0 डा. रंजीत रथ**
निदेशक (वित्त)	निदेशक	निदेशक	प्रबन्ध निदेशक
निपसं: 8923137	निपसं: 8890469	निपसं: 7612050	निपसं: 8275277

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते **पाम्पन्ना एण्ड कम्पनी**
सनदी लेखाकार
पंजीकारण संख्या: 010225एस

ह0 पाम्पन्ना
प्रोप्राइटर
सदस्यता संख्या : 207100

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 04–08– 2021

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण

(करोड रुपए में)

क्रम. सं.	विवरण	टिप्पणी	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
1	**(क) राजस्व :**			
	(क) भारत सरकार से अनुदान		**7.00**	4.50
	(ख) अन्य आय	**19**	**1.05**	1.37
2	**कुल राजस्व (क)**		**8.05**	5.87
	(ख) व्यय :			
	(क) कर्मचारी लाभ व्यय	**20**	**0.31**	0.34
	(ख) सुरक्षा कर्मी आपूर्ति ठेका	**21**	**5.26**	3.91
	(ग) अन्य व्यय	**22**	**0.67**	0.54
	(घ) विकास कार्य व्यय	**23**	**1.04**	0.00
	(ड.) वित्त लागत	**24**	**70.24**	114.29
	(च) मूल्यह्रास और ऋण परिशोधन	**25**	**0.15**	0.17
3	**कुल व्यय (ख)**		**77.66**	119.24
4	**(हानि) विशिष्ट मदों से पूर्व (क) – (ख)**		**-69.61**	-113.38
	विशिष्ट मद			
	(क) प्रावधान की कोई आवश्यकता नहीं	**26**	**239.68**	32.94
	(ख) पूर्वावधि समायोजन	**27**	**-22.67**	1.02
5	**(हानि) विशिष्ट मदों के पश्चात**		**-147.39**	-79.41
6	**कर व्यय**		**0.00**	0.00
7	**वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (5-6)**		**-147.39**	-79.41
	लेखों पर टिप्पणी संख्याएँ 1 से 28 और प्रमुख लेखा नीतियाँ लेखों के ही भाग हैं ।			

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से *30–07–2021*

ह0 अरुण गोयल	**ह0 डा. वीणा कुमारी डी.**	**ह0 फरीदा एम. नायक**	**ह0 डा. रंजीत रथ**
निदेशक (वित्त)	निदेशक	निदेशक	प्रबन्ध निदेशक
निपसः 8923137	निपसः 8890469	निपसः 7612050	निपसः 8275277

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते **पाम्पन्ना एण्ड कम्पनी**
सनदी लेखाकार
पंजीकारण संख्याः 010225एस

ह0 पाम्पन्ना
प्रोप्राइटर
सदस्यता संख्या : 207100

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 04–08– 2021

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

विवरण	टिप्पणी	समाप्त वर्ष 31-3-2021 राशि करोड रुपए में	समाप्त वर्ष 31-3-2020 राशि करोड रुपए में
वर्ष 2020–21 के लिए निवल हानि		**147.39**	-79.41
1. जोडिए देनदारियों में वृद्धि			
दीर्घकालिक लेनदारियाँ – एसबीआई और भारत सरकार	**3**	-	109.94
दीर्घकालिक देनदारियाँ (आन्ध्र प्रदेश सरकार)	**4**	-	0.44
दीर्घकालिक देनदारियाँ (कर्नाटक राज्य सरकार)	**5**	3.10	-
दीर्घकालिक देनदारियाँ (सांविधिक)	**6**	14.71	-
चालू देनदारियाँ (सांविधिक)	**8**	0.02	-
चालू देनदारियाँ (देनदार)	**10**	0.88	-
मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	**25**	0.15	0.17
2. घटाइए देनदारियों में कमी			
दीर्घकालिक लेनदारियाँ – एसबीआई और भारत सरकार	**3**	-164.78	-
दीर्घकालिक देनदारियाँ (आन्ध्र प्रदेश सरकार)	**4**	-0.01	-
दीर्घकालिक देनदारियाँ (कर्नाटक राज्य सरकार)	**5**	-	-29.04
दीर्घकालिक देनदारियाँ (सांविधिक)	**6**	-	-0.21
दीर्घकालिक देनदारियाँ (अन्य)	**7**	0.00	-
चालू देनदारियाँ (सांविधिक)	**8**	-	-0.18
चालू देनदारियाँ (कर्मचारी)	**9**	0.00	0.00
चालू देनदारियाँ (देनदार)	**10.1**	-0.06	-2.89
3. जोडिए परिसंपत्तियों में कमी			
दीर्घकालिक जमा	**12**	-	0.28
प्राप्य जीएसटी/टीडीएस	**16**	0.87	-
चालू परिसंपत्तियॉ – अन्य	**18**	-	2.97
4. घटाइए परिसंपत्तियों में वृद्धि			
कम्पयूटर की खरीद	**11**	0.00	-0.01
प्राप्य जीएसटी/टीडीएस	**16**	-	-1.48
प्राप्य किराया	**17**	-0.15	-0.36
चालू परिसंपत्तियॉ – अन्य	**18**	-0.08	-
नकदी और बैंक शेष में वृद्धि		2.06	0.22
नकदी और बैंक का आरंभिक शेष		6.47	6.25
नकदी और बैंक का अंतिम शेष		8.53	6.47
नकदी और बैंक शेष में वृद्धि		2.06	0.22

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से *30–07–2021*

ह0 अरुण गोयल	**ह0 डा. वीणा कुमारी डी.**	**ह0 फरीदा एम. नायक**	**ह0 डा. रंजीत रथ**
निदेशक (वित्त)	निदेशक	निदेशक	प्रबन्ध निदेशक
निपसं: 8923137	निपसं: 8890469	निपसं: 7612050	निपसं: 8275277

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते **पाम्पन्ना एण्ड कम्पनी**
सनदी लेखाकार
पंजीकारण संख्या: 010225एस
ह0 पाम्पन्ना
प्रोप्राइटर
सदस्यता संख्या : 207100

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 04–08– 2021

टिप्पणी जो लेखों का ही एक भाग है

टिप्पणी – 1 शेयर पूँजी

विवरण	31मार्च, 2021 को		31मार्च, 2020 को	
(1) अधिकृत / जारीकृत / अभिदत्त / प्रदत्त	**शेयरों की संख्या**	**मूल्य करोड रुपए में**	शेयरों की संख्या	मूल्य करोड रुपए में
(क) अधिकृत				
प्रत्येक 1,000 रुपए के ईक्विटी शेयर	**600000**	**60.00**	**600000**	60.00
(ख) जारी, अभिदत्त और प्रदत्त				
पूर्णतः प्रदत्त प्रत्येक 100 रुपए के ईक्विटी शेयर	510640	**51.06**	510640	51.06

(2) समाधानित शेयरों की संख्या और वर्ष के आरंभ तथा अंत में

विवरण	31मार्च, 2021 को		31मार्च, 2020 को	
	शेयरों की संख्या	**मूल्य करोड रुपए में**	शेयरों की संख्या	मूल्य करोड रुपए में
ईक्विटी शेयर				
वर्ष के आरंभ में शेयरों की संख्या	**510640**	**51.064**	510640	51.064
जोडिएः वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	**-**	**-**	-	-
घटाइएः वर्ष के दौरान वापस खरीदे गए शेयर	**-**	**-**	-	-
वर्ष के अंत में शेयरों की संख्या	**510640**	**51.064**	510640	51.064

(3) प्रत्येक शेयरधारी का विवरण जिसके पास कम्पनी के 5% से ज्यादा प्रदत्त ईक्विटीशेयर उपलब्ध हैं

शेयरों की श्रेणी / शेयरधारी का नाम	31मार्च, 2021 को		31मार्च, 2020 को	
	शेयरों की संख्या	**उस श्रेणी के शेयरों में होल्डिंग का %**	शेयरों की संख्या	उस श्रेणी के शेयरों में होल्डिंग का %
मतदान अधिकार समेत ईक्विटी शेयर :				
भारत के राष्ट्रपति	**510638**	**100%**	510638	100%

टिप्पणी – 1.1 उपर्युक्त में 85,111 शेयर, जो खरीद मूल्य तथा प्रारंभिक व्यय आदि के लिए पूर्व प्राप्त शेयरों के रूप में आबंटित किए गए हैं, सम्मिलित हैं ।

टिप्पणी – 1.2 कम्पनी के पास होल्डिंग, सब्सिडियरी अथवा संपूर्ण होल्डिंग नहीं है ।

टिप्पणी – 2 आरक्षण और अधिशेष

विवरण	31मार्च, 2021 को मूल्य करोड रुपए में	31मार्च, 2020 को मूल्य करोड रुपए में
पूँजीगत आरक्षण (भूमि का मूल्यांकन) (क)	**0.61**	0.61
लाभ और हानि लेखा		
तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	**-2,112.73**	-2,033.31
जोडिएः वर्ष के लिए (हानि)	**147.39**	-79.41
लाभ और हानि लेखे का शेष	**-1,965.33**	-2,112.73
कुल	**-1,964.73**	-2,112.12

टिप्पणी – 3 दीर्घकालिक लेनदारियॉं

विवरण	31मार्च, 2021 को मूल्य करोड रुपए में	31मार्च, 2020 को मूल्य करोड रुपए में
क. प्रतिभूत ऋण		
ओवर ड्राफ्ट स्टैट (एसबीआई, केजीएफ)	**0**	5.58
एसबीआई के ओवर ड्राफ्ट पर संचित ब्याज (एसबीआई, केजीएफ)	**0**	233.39
ख. अप्रतिभूत ऋण		
भारत सरकार से प्राप्त ऋण	**219.29**	219.22
भारत सरकार से प्राप्त ऋण पर ब्याज	**1.025.47**	978.48
संचित ब्याज भारत सरकार से प्राप्त ऋण पर संचित दण्ड ब्याज (आरंभिक शेष रु. 9866069020 पर 2.75% की दर पर संचित ब्याज)	**548.74**	521.61
कुल	**1,793.51**	1,958.29

टिप्पणी 3-1 सक्षम प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त करते हुए, एसबीआई के एक मूश्त निपटान योजना के अंतर्गत रु. 43,63,252/- का भुगतान करते हुए रु. 238,53,31,288/- की दीर्घकालिक देनदारी और ब्याज के प्रापधान की राशि का अंतिम निबटान दिनांक 31.03.2020 को करते हुए एसबीआई परिसंपत्ति वसूली प्रबन्धन शाखा, बेंगलूरु से शून्य देयता प्रमाणपत्र दिनांक 17.12.2020 को प्राप्त किया गया है ।

टिप्पणी 3-2 भारत सरकार के योजना और गैर–योजना ऋण की राशि का भुगतान काफी समय से नहीं किया गया है । इसके के लिए निर्धारित दर, जो समय समय पर (1978 से 2000–01 तक) उसकी मूंजूरी के पत्रों में निर्धरित शर्तों पर, बदलता रहता है, के आधार पर देय ब्याज का भुगतान भी नहीं किया गया है । कम्पनी द्वारा ऋण की मंजूरी के पत्रों में निर्धरित शर्तों के आधार पर प्रति वर्ष ब्याज और दण्ड ब्याज का प्रावधान किया जा रहा है । पीएओ, खान मंत्रालय, नई दिल्ली के समाधान विवरण के अनुसार 31.03.2020 को देय ब्याज और दण्ड ब्याज की राशि क्रमशः रु. 6,70,136/- और रु. 8,12,36,057/- है । समीक्षाधीन वर्ष के दौरान ऋण और देय ब्याज की संचित राशि में वृद्धि हुई है और इस राशि को पूर्वावधि समायोजन के अंतर्गत दर्शाया गया है ।

टिप्पणी 3-3 भारत सरकार को ब्याज समेत उपर्युक्त ऋणों की अदायगी की व्यवस्था केन्द्र सरकार के मंत्रिमण्डल के जुलाई, 2006 के निर्णय के अनुसार कम्पनी की परिसम्मपित्तयों को बेचकर की जाएगी ।

टिप्पणी – 4 अन्य दीर्घकालिक देनदारियॉं – आन्ध्र प्रदेश सरकार

विवरण	31मार्च, 2021 को मूल्य करोड रुपए में	31मार्च, 2020 को मूल्य करोड रुपए में
एपीएसईबी – बिजली बिल	**1.39**	1.43
संचित ब्याज – एपीएसईबी बिजली बिलों पर	**7.39**	7.06
एपी – सीजीएम – रायल्टी	**0.31**	0.31
एपी – ओबीएम – रायल्टी	**0.12**	0.12
संचित ब्याज – एपी – सीजीएम – रायल्टी	**1.10**	1.32
संचित ब्याज – एपी – ओबीएम – रायल्टी	**0.40**	0.49
कुल	**10.71**	10.72

टिप्पणी 4-1 आन्ध्र प्रदेश सरकार को देय बिजली बिलों की बकाया राशि का समाधान मेसर्स एपीएसपीडीसीएल, अनंतपुरम, आन्ध्र प्रदेश के मांगपत्र दिनांक 23.03.2021, जिसमें कम्पनी की ओर से देय वर्तमान राशि का विवरण प्रस्तुत किया गया है, के लिए 31.03.2021 को कम्पनी द्वारा की गयी अतिरिक्त प्रावधान की राशि रु. 4,22,556/- को वापस ले लिया गया है ।

टिप्पणी 4-2 आन्ध्र प्रदेश सरकार को देय रायल्टी की बकाया राशि का समाधान सहायक निदेशक, खान एवं भूविज्ञान (एफएसी) के मांगपत्र दिनांक 25.02.2021, जिसमें कम्पनी की ओर से देय वर्तमान रायल्टी राशि का विवरण प्रस्तुत किया गया है, के लिए 31.03.2021 को कम्पनी द्वारा की गयी अतिरिक्त प्रावधान की राशि रु. 32,66,656/- को वापस ले लिया गया है ।

टिप्पणी – 5 अन्य दीर्घकालिक देनदारियाँ – कर्नाटक सरकार

विवरण	**31मार्च, 2021 को मूल्य करोड रुपए में**	31मार्च, 2020 को मूल्य करोड रुपए में
केए – बिजली बिल एचटी–1	**25.53**	25.53
केए – बिजली बिल एचटी–7	**0.01**	0.01
केए – रायल्टी – स्वर्ण	**16.18**	16.28
संचित ब्याज – केए – रायल्टी – स्वर्ण	**51.30**	48.09
कुल	**93.01**	89.91

टिप्पणी 5-1 कर्नाटक राज्य सरकार को देय रायल्टी की बकाया राशि का समाधान सहायक निदेशक, खान एवं भूविज्ञान, खान एवं भूविज्ञान, कर्नाटक राज्य के मांगपत्र दिनांक 22.10.2020, जिसमें कम्पनी की ओर से देय वर्तमान रायल्टी राशि का विवरण प्रस्तुत किया गया है, के लिए 31.03.2021 को कम्पनी द्वारा की गयी अतिरिक्त प्रावधान की राशि रु. 68,14,500/- को वापस ले लिया गया है ।

टिप्पणी – 6 अन्य दीर्घकालिक देनदारियाँ – सांविधक वसूली

विवरण	**31मार्च, 2021 को मूल्य करोड रुपए में**	31मार्च, 2020 को मूल्य करोड रुपए में
केए – खनिज अधिकार कर *	**4.76**	4.76
एमएच – मुम्बई नगर पालिका निगम *	**0.57**	10.57
सीई – पूँजीगत मदों पर उत्पाद शुल्क *	**1.22**	1.22
संपदा कर – केजीएफ	**14.71**	0.00
कुल	**21.25**	6.54

टिप्पणी 6-1 देनदारियॉ जिन पर * चिह्न लगाया गया है का समाधान एवं पुष्टीकरण किया जाना है ।

टिप्पणी 6-2 कमीशनर, नगर पालिका परिषद, राबर्टसनपेट, केजीएम द्वारा बीजीएमएल द्वारा देय संचित संपदा कर की वसूली के संबंध में दिनांक 07.12.2020 को एक मांगपत्र भेजा गया है, जो वर्ष 2002.03 से बकाया है । कम्पनी द्वारा विभिन्न कारणों से संपदा कर की देयता के लिए इससे पूर्व के वर्षों में कोई प्रावधान की व्यवस्था नहीं की गयी । फिरभी, संपदा कर की देनदारियों की अदायगी एक कानूनी आवश्यकता है, गैर–चालू देनदारी के रूप में इसके लिए अतिरिक्त प्रावधान की व्यवस्का की गयी है (चूँकि परिसंपत्तियों की बिक्री से इन देनदारियों की अदायगी की जाएगी)। इसके लिए लेखों के अंतर्गत कुल रु. 14,71,32,506/- का प्रावधान किया गया है और इस राशि को पूर्वावधि समायोंजन के अंतर्गत दर्शाया गया है ।

टिप्पणी – 7 अन्य दीर्घकालिक देनदारियाँ – अन्य

विवरण	**31मार्च, 2021 को मूल्य करोड रुपए में**	31मार्च, 2020 को मूल्य करोड रुपए में
गैर वापस देय जमा (बीईएमएल)	**1.00**	1.00
विविध बिक्रीकर्ता – व्यापारिक देयताएँ *	**1.81**	1.81
विविध अग्रिम और जमा की प्राप्ति *	**0.63**	0.63
एपी – सीजीएम पुलिस आउटपोस्ट शुल्क *	**0.17**	0.17
केए – केजीएफ पुलिस एस्कार्ट शुल्क *	**0.03**	0.03
कुल	**3.64**	3.64

टिप्पणी 7-1 देनदारियॉ जिन पर * चिह्न लगाया गया है का समाधान एवं पुष्टीकरण किया जाना है ।

टिप्पणी 7-2 वर्ष 2019–20 से पूर्व किराया वसूलीकर्ताओं को कमीशन के रूप में देय राशि रु. 24,611/- (विविध अग्रिम और जमा राशियों की प्राप्ति) को चालू देनदारियों में अंतरित किया गया है ।

टिप्पणी – 8 अन्य चालू देनदारियाँ – संवैधानिक

विवरण	**31मार्च, 2021 को मूल्य करोड रुपए में**	31मार्च, 2020 को मूल्य करोड रुपए में
टीडीएस वेतन	**0.00**	0.00
टीडीएस ठेकेदार	**0.00**	0.00
पीएफ की देयता	**0.08**	0.05
सीजीईजीआईएस की देयता	**0.00**	0.00
कुल	**0.08**	0.05

टिप्पणी – 9 अन्य चालू देनदारियाँ – कर्मचारी

विवरण	**31मार्च, 2021 को मूल्य करोड रुपए में**	31मार्च, 2020 को मूल्य करोड रुपए में
उपदान की देयता – एसटीबीपी	**0.05**	0.05
उपदान की देयता – गैर एसटीबीपी	**0.02**	0.02
उपदान की देयता – अन्य *	**0.17**	0.17
वेतन पत्रक कटौतियाँ *	**0.07**	0.07
एलएससी और पीसी *	**0.03**	0.03
एसटीबीपी – आवस गृहों की बिक्री का मूल्य – प्राप्त	**2.17**	2.17
एसटीबीपी – जमा	**0.05**	0.05
बिजली की आपूर्ति के लिए कर्मचारियों से प्राप्त जमा	**0.01**	0.01
कुल	**2.58**	2.58

टिप्पणी 9-1 भारत सरकार के निर्देशानुसार लगभग 31.90 एकड भूमि में निर्मित 2812 आवास गृह कम्पनी के भूतपूर्व कर्मचरियों, जो कम्पनी को बन्द किए जाने के दिनांक तक कम्पनी की सेवा में मौजूद थे, को एसटीबीपी योजना के अनुसार बेचे जाने का निर्णय लिया गया है । तदनुसार, कम्पनी के कर्मचारियों ने 2732 आवास गृहों के मूल्य के रूप में लगभग 21691251 रुपए पति वर्ग फीट 15 रुपए की दर पर भुगतान किया है । इस बिक्री से प्राप्त राशि को इससे संबंधित अन्य औपचारिकताएँ पूर्ण होने तक लेखा बहियों के अंतर्गत ही रखा गया है ।

टिप्पणी 9-2 आवास गृहों के सामने मौजूद लगभग 91 एकड भूमि कर्मचारियों को बेचे जाने और उसके लिए देय मूल्य आदि के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

टिप्पणी 9-3 कम्पनी के आवास गृहों में निवास करनेवाले अभी 75 कर्मचारियों द्वारा बिक्री मूल्य अदा नहीं किया गया है । उनके से आवास गृहों के लिए सामान्य दर पर किराया निर्धारित किया गया है । 5 आवास गृह खाली और परित्यक्त दशा में मौजूद हैं ।

टिप्पणी 9-4 देनदारियॉ जिन पर * चिह्न लगाया गया है का समाधान एवं पुष्टीकरण किया जाना है ।

टिप्पणी – 10 अन्य चालू देनदारियाँ – अन्य

विवरण	**31मार्च, 2021 को मूल्य करोड रुपए में**	31मार्च, 2020 को मूल्य करोड रुपए में
सहायता अनुदान – सार्वभौमिक निविदा	**0.50**	0.50
सहायता अनुदान – पूर्व कर्मचारियों के न्यायालयीन मामले	**0.32**	0.34
देनदार – व्ययों के लिए	**1.03**	0.67
ईएमडी – अबस्किसा सुविधाएँ	**0.02**	0.02
प्रतिभूति जमा	**0.43**	0.07
एसडी – किराया वसूलीकर्ता	**0.01**	0.00
एसडी – अन्य	**0.19**	0.14
जमा – घरेलू और वाणिज्यिक किराया	**2.13**	2.00
कुल	**4.62**	3.74

टिप्पणी – 10.1 चालू देनदारियॉ – अल्पकालिक प्रावधान

विवरण	**31मार्च, 2021 को मूल्य करोड रुपए में**	31मार्च, 2020 को मूल्य करोड रुपए में
प्रावधान – न्यायाल मामलों का शुल्क	**0.01**	0.02
प्रावधान – लेखा परीक्षा शुल्क (संवैधानिक)	**0.01**	0.01
प्रावधान – मरम्मत और अनुरक्षण	**0.00**	0.02
प्रावधान – टेलिफोन शुल्क	**0.00**	0.00
प्रावधान – यात्रा व्यय	**0.00**	0.00
प्रावधान – चिकित्सा व्यय	**0.00**	0.00
प्रावधान – ड्रोन सर्वेक्षण व्यय	**0.02**	0.05
प्रावधान – विज्ञापन व्यय	**0.00**	0.00
प्रावधान – वेतन संशोधन (प्रतिनियुक्त अधिकारी)	**0.00**	0.01
कुल	**0.04**	0.10

टिप्पणी – 11 31-3-2021 को स्थायी परिसंपत्तियों का विवरण

(करोड रुपए में)

परिसंपत्ती की कोटी	सकल ब्लाक लागत पर				
	4-1-2020 को सही मूल्य	**2020-21 के दौरान जोडे गए**	**2020-21 को हटाई गयी**	**समायोजन 2020-21**	**31 मार्च, 2020 को कुल मूल्य**
भूमि	0.68	0	0	0	0.68
भवन	12.22	0	0	0	12.22
फर्नीचर	0.17	0	0	0	0.17
कार्यालय उपकरण	0.83	0	0	0	0.83
संयंत्र और मशीनरी	46.51	0	0	0	46.51
बिजली लाइन	0.25	0	0	0	0.25
रेल्वे साइडिंग	0.02	0	0	0	0.02
सडकें और नालियॉ	1.75	0	0	0	1.75
शाफ्ट सिंकिंग	1.69	0	0	0	1.69
वहन	1.63	0	0	0	1.63
जल पूर्ति	1.36	0	0	0	1.36
सकल कुल	**67.12**	**0**	**0**	**0**	**67.13**
गत वर्ष कुल	67.11	0	0	0	67.12

टिप्पणी – 11 स्थायी परिसंपत्तियॉ (जारी....)

(करोड रुपए में)

परिसंपत्ती की कोटी	मूल्यह्रास					निवल ब्लाक
	31-3-2020 को शेष	**बेची/स्क्रैप की गयी परिसंपत्तियॉ**	**समायोजन**	**2020-21 मूल्यह्रास**	**समेकित मूल्यह्रास 31-3-2021**	**बही मूल्य 31-3-2021**
भूमि	-	0	0	0	0	0.68
भवन	10.98	0	0	0.14	11.12	1.10
फर्नीचर	0.17	0	0	0.00	0.17	0.00
कार्यालय उपकरण	0.82	0	0	0.01	0.83	0.01
संयंत्र और मशीनरी	46.51	0	0	0	46.51	0.00
बिजली लाइन	0.25	0	0	0	0.25	0.00
रेल्वे साइडिंग	0.02	0	0	0	0.02	0.00
सडकें और नालियॉ	1.75	0	0	0	1.75	0.00
शाफ्ट सिंकिंग	1.69	0	0	0	1.69	0.00
वहन	1.63	0	0	0	1.63	0.00
जल पूर्ति	1.36	0	0	0	1.36	0.00
सकल कुल	**65.19**	**0**	**0**	**0.15**	**65.34**	**1.79**
गत वर्ष कुल	65.02	0	0	0.17	65.19	1.93

टिप्पणी – 11 गैर चालू परिसंपत्तियाँ – वास्तविक परिसंपत्तियों का निवल मूल्यह्रास

विवरण	**31मार्च, 2021 को मूल्य करोड रुपए में**	31मार्च, 2020 को मूल्य करोड रुपए में
केजीएफ खदान – भूमि	**0.67**	0.67
वाईएम रामगिरी खदान – भूमि	**0.01**	0.01
केजीएफ खदान – अन्य	**1.04**	1.17
वाईएम रामगिरी खदान – अन्य	**0.00**	0.00
सीजीएम खदान – अन्य	**0.07**	0.08
कुल	**1.79**	1.93

टिप्पणी 11-1 कम्पनी बन्द हो जाने के कारण सकल/निवल ब्लाक के अंतर्गत मौजूद परिसंपत्तियों को सक्रिय उपयोग से निवृत्त किया गया है और उनके निपटान/बट्टे खाते डाले जाने तक के लिए लम्बित रखा गया है क्योंकि यह मामला न्यायालयाधीन है ।

टिप्पणी 11-2 कम्पनी के पास कोलार स्वर्ण क्षेत्र में 12109.70 एकड भूमि उपलब्ध है जिसे केन्द्र सरकार ने दिनांक 28–3–1977 को एक पट्टे के माध्यम से अन्तरित किया है । इसमें से 14.075 एकड भूमि हस्तांतरण करते हुए (1) डाक–तार विभाग को (0.70 एकड) (2) एमएसईबी को (4.98 एकड) (3) खान सुरक्षा महा निदेशालय को (5.74 एकड) और (4) भारतीय खाद्य निगम को (2.66 एकड) भूमि बेची गयी है । शेष 12095.625 भूमि को 500/- रुपए प्रति एकड की दर से कम्पनी की भूमि के खाते के अंतर्गत दिनांक 31–3–1978 को पूँजी अंतरण खाते में जमा किया गया है । इसी प्रकार, 0.427 एकड भूमि जो कम्पनी के अधीन थी और जिसके लिए नियमित रूप से लगान का भुगतान किया गया और जिसका स्वत्वाधिकार स्थापित किया गया था को वर्ष 1981–82 के दौरान उसी दर पर खाते में जोडा गया ताकि कम्पनी की लेखा पुस्तिकाओं में पूँजीगत आरक्षण लेखा के अंतर्गत भूमि की वास्तविक स्थिति दर्शायी जा सके । कम्पनी द्वारा 2000 के दौरान उचित स्टैम्प ड्यूटी 6.81 लाख रुपए अदा किया गया है । इसके अलावा आन्ध्र प्रदेश के रामगिरी में मौजूद 83.35 एकड भूमि को उसके खरीदे गए मूल्य पर खाते के अंतर्गत दर्शाया गया है ।

टिप्पणी 11-3 कम्पनी के पास कम्पनी के उपनगर में कम्पनी के अधिकारी और कर्मचारियों के उपयोग के लिए 10911 आवास गृह मौजूद हैं । इनमें से भारत सरकार के आदेशानुसार 2812 आवास गृहएसटीबीपी योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को दिए गए हैं। बचे हुए 8099 आवास गृहों में से 4477 आवास गृह लीज / किराए पर, 37 आवास गृह राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान और राष्ट्रीय शिला यांत्रिकी संस्थान को दिए गए हैं और 4 आवास गृह खाली और परित्यक्त स्थिति में मौजूद हैं । 3581 आवास गृह, सुरक्षा व्यवस्था मौजूद होने के बावजूद, अनधिकृत तौर पर अपनाए गए हैं । भारत सरकार द्वारा शीघ्र ही कम्पनी की परिसंपत्तियों के निपटान से संबंधित निर्णय लिया जाएगा ।

टिप्पणी 11-4 कम्पनी की भूमि (लगभग 10 एकड से अधिक), जिसे राष्ट्रीय शिला यांत्रिकी संस्थान को अंतरित किया गया था, को कम्पनी के लेखों के अंतर्गत ही रखा गया है क्योंकि उनके स्थायी अंतरण से संबंधित कानूनी और अन्य औपचारिकताएँ अभी पूरी नहीं की गयी हैं । अतः इसका स्वामित्व अभी भी बीजीएमएल के पास ही है ।

टिप्पणी 11-5 2812 आवास भवन निर्मित भूमि, जिसकी मात्रा लगभग 31.90 एकड है, जिसे भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार कम्पनी को बन्द करते समय कार्यरत भूतपूर्व कर्मचारियों को बेचा गया है । कर्मचारियों को बेचे गए 2732 आवास गृहों से लगभग 15 रुपए प्रति वर्ग फीट की दर पर 21691251 रुपए प्राप्त हुआ है जिसे कम्पनी के लेखों अंतर्गत ही दर्शाया गया है क्योंकि उनके स्थायी अंतरण से संबंधित कानूनी और अन्य औपचारिकताएँ अभी पूरी नहीं की गयी हैं । आवास भवनों के साथ जुडी हुई आसपास की भूमि, जिस की मात्रा लगभग 91 एकड हैं, को किस सीमा तक और किस दर पर कम्पनी के भूतपूर्व कर्मचारियों को अंतरित किया जाना है, के संबंध में सरकार द्वारा अभी अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है । अभी 75 आवास गृहों के लिए कर्मचारियों द्वारा भुगतान नहीं किया गया है । उनसे नाममात्र की दर पर मासिक किराया वसूल किया जा रहा है । 5 आवास गृह खाली और परित्यक्त स्थिति में मौजूद हैं ।

टिप्पणी 11-6 भूमि के अंतर्गत 993 आवास गृह और भूमि जिसकी मात्रा लगभग 1000.00 एकड है, कुछ भूतपूर्व कर्मचारियों और स्थानीय व्यक्तियों द्वारा अनधिकृत रूप से अधिग्रहण कर लिया गया है, सम्मिलित है । कम्पनी के प्रबन्धन द्वारा उन्हें खाली कराने से संबंधित कार्यवाही आरंभ की जा रही है ।

टिप्पणी 11-7 मेसर्स दक्षिण पश्चिमी रेलवे (दपरे) द्वारा मारिकुप्पम (केजीएफ) से कुप्पम (आंध्रप्रदेश) तक नए ब्राडग्रज रेलवे लाइन के लिए 49.7125 एकड भूमि बीजीएमएल से प्राप्त किए जाने का प्रस्ताव किया गया है और इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय, कर्नाटक राज्य से अनुमति मांगते हुए आवेदनपत्र संख्या 129/2017 इन सीओपी संख्या 180/2000 समर्पित किया गया है । इस आवेदन को स्वीकृत करते हुए माननीय उच्च न्यायालय, कर्नाटक राज्य अपने आदेश दिनांक 12–6–2017 द्वारा दक्षिण पश्चिम रेलवे को निर्देशित किया गया है कि प्रस्तावित भूमि के मूल्य, जिसका संशोधन उपायुक्त, कोलार द्वारा किया गया है, के रूप में 2.78 करोड रुपए जमा किया जाए । माननीय न्यायालय द्वारा इस मामले का अंतिम निपटान अभी न होने के कारण दक्षिण पश्चिमी रेलवे द्वारा उच्च न्यायालय में जमा की गयी राशि का समायोजन कम्पनी के लेखों के अंतर्गत नहीं किया गया है ।

टिप्पणी 11-8 कुछ यंत्र सामग्री जिसे चैम्पियन रीफ कारखाने से अंतरित कर बीईएमएल द्वारा इस्तेमाल के लिए 2004–05 के दौरान पट्टे पर दी गयी है को कम्पनी की बहियों में इनके खरीदी मूल्य और संचित मूल्यह्रास क्रमशः 95.45 लाख रुपए है को तदनुसार लेखों के अंतर्गत दर्शाया गया है ।

टिप्पणी 11-9 कोलार स्वर्ण क्षेत्र की खदानों से संबंधित जलपूर्ति साजोसामग्री नगर पालिका परिषद, राबर्टसनपेट, के.जी.एफ. को सुपुर्द की गयी है ताकि नगर पालिका का द्वारा 1–2–2002 से जलपूर्ति की व्यवस्था और उसका अनुरक्षण किया जा सके । जलपूर्ति की इस साजसामग्री को कम्पनी की बहियों में दर्शाया गया है जिसका खरीदी मूल्य और संचित मूल्यह्रास क्रमशः 123.89 लाख रुपए है को तदनुसार लेखों के अंतर्गत दर्शाया गया है ।

टिप्पणी 11-10 वर्ष 2016–17 के दौरान बीजीएमएल के वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों/सरकारी अधिकारियों के साथ एक तकनीकी समिति का गठन किया गया था । उक्त समिति ने बीजीएमएल के विभिन्न कार्यस्थलों/खदानों में मोंजूद परिसंपत्तियों का निरीक्षण/परीक्षण किया ताकि तकनीकी दृष्टि से उनकी साध्यता/उपयोगिता का पता लगाया जा सके ।

टिप्पणी 11-11 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी की भूमि को छोड कर अन्य स्थायी परिसंपत्तियों का मदवार भौतिक सत्यापन एक बाहरी लेखा परीक्षक द्वारा किया गया है और कम्पनी के प्रबन्धन द्वारा उनकी रिपोर्ट स्वीकृत की गयी है । कम्पनी की परिसंपत्तियों का समाधान स्थायी परिसंपत्तियों के रजिस्टर के साथ नहीं किया गया है क्योंकि यह गोपनीय और न्यायालयाधीन है ।

टिप्पणी – 12 दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम – दीर्घकालिक जमा

विवरण	**31मार्च, 2021 को मूल्य करोड रुपए में**	31मार्च, 2020 को मूल्य करोड रुपए में
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए		
जमा – एचसी, केए – बीईएमएल	**1.22**	1.22
जमा – एचसी – अन्य *	**0.52**	0.52
जमा – आय कर विभाग में *	**0.09**	0.09
जमा – एपीएसईबी में *	**0.00**	0.00
जमा – एपी कृषि भूमि कर *	**0.10**	0.10
जमा – केए बेसकाम	**0.00**	0.00
कुल	**1.94**	1.94

टिप्पणी 12-1 जमा जिन पर * चिह्न लगाया गया है का समाधान एवं पुष्टीकरण किया जाना है ।

टिप्पणी – 13 दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम – अन्य को अग्रिम

विवरण	**31मार्च, 2021 को मूल्य करोड रुपए में**	31मार्च, 2020 को मूल्य करोड रुपए में
अप्रतिभूत, संदिग्ध माने गए		
आरओसी परामर्शदाता को प्रदत्त अग्रिम *	**0.01**	0.01
प्रतिभूति जमा – परियोजनाएँ *	**0.01**	0.01
कर्मचारियों को ग्रिम – परियोजनाएँ *	**0.17**	0.17
ठेकेदारों को अग्रिम – परियोजनाएँ *	**0.05**	0.05
विक्रेताओं को अग्रिम *	**2.99**	2.99
संदिग्ध ऋण और अग्रिम के लिए प्रावधान एवं मूल्यह्रास	**-2.13**	-2.13
ग्राहक – परियोजना एवं ठेका विभाग – खनन	**0.43**	0.43
प्रावधान – ग्राहक – परियोजना एवं ठेका विभाग – खनन	**-0.43**	-0.43
प्रावधान – ग्राहक – विविध	**0.22**	0.22
एसीएस – बिजली के लिए देयताएँ निजी ग्राहक *	**-0.19**	-0.19
प्रावधान –एसीएस – बिजली के लिए देयताएँ निजी ग्राहक	**0.04**	0.04
	-0.04	-0.04
कुल	**1.13**	1.13

टिप्पणी 13-1 जमा और अग्रिम जिन पर * चिह्न लगाया गया है का समाधान एवं पुष्टीकरण किया जाना है ।

टिप्पणी – 14 अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियाँ – वस्तुसूची

विवरण	**31मार्च, 2021 को मूल्य करोड रुपए में**	31मार्च, 2020 को मूल्य करोड रुपए में
स्वर्ण का भौतिक स्टाक (एफजी) 34.67 ग्राम	**0.01**	0.01
स्वर्ण की हानि के लिए प्रावधान (एफजी) 26.07 ग्राम	**-0.01**	-0.01
चॉदी का भौतिक स्टाक (एफजी) 384 ग्राम	**0.00**	0.00
चॉदी की हानि के लिए प्रावधान (एफजी) 384 ग्राम	**-0.00**	-0.00
चालू कार्य भौतिक *	**0.49**	-0.49
अप्राप्य चालू कार्य के लिए प्रावधान	**-0.49**	-0.49
भण्डार के अंतर्गत स्टाक – केजीएफ और चिगरगुण्टा खान *	**2.29**	2.29
अप्रचलित सामग्री के लिए प्रावधान	**-2.04**	-2.04
भण्डार के अंतर्गत स्टाक – एप्पमाना खान *	**0.01**	0.01
कुल	**0.27**	0.27

टिप्पणी 14-1 वस्तुसूची के अंतर्गत स्क्रैप किए गए ताम्बे के बिजली के तार (जिसे हाल ही में हटाया गया है) सम्मिलित नहीं है जिसका वजन 150 मेट्रिक टन और मूल्य लगभग 6 करोड रुपए है जिसके निपटान का अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

टिप्पणी 14-2 इसी प्रकार सतह पर पडे हुए 33 मिलियन टन रेत के ढेरों, जिससे 13.2 मेट्रिक टन स्वर्ण निकाला जा सकता है, को खाते के अंतर्गत नहीं लिया गया है ।

टिप्पणी 14-3 इसी प्रकार 8.6 ग्राम स्वर्ण, 12,386 ग्राम वनज वाले 14 स्वर्ण अयस्क के नमूने, प्लाटिनम के क्रूसिबुल और परीक्षण प्रयोगशाला के मद जिन्हें कार्पोरेशन बैंक, राबर्टसनपेट के लाकरों में रखा गया है और जिनका वास्तविक मूल्य का निर्धारण नहीं किया गया है, को खाते के अंतर्गत नहीं लिया गया है । इसके अलावा 5057 किलो ग्राम वनज के 881 हालोड्रिल स्टील, टीसी इनसर्ट्स जिन्हें कम्पनी के केन्द्रीय कारखाने (बीईएमएल) में रखा गया है, को लेखों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है क्योंकि उनसे प्राप्य मूल्य का आकलन नहीं लिया गया है ।

टिप्पणी 14-4 वस्तुसूची के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति की ओर से रेल्वे वैगनों के निर्माण के लिए निःशुल्क प्राप्त सामग्री जिसे 35 लाख रुपए के बन्धपत्र के आधार पर कम्पनी के कारखानों में रखा गया, जिसका मूल्य निर्धारित नहीं हो पाया है, सम्मिलित नहीं है । इसमें से कुछ प्रमुख माल वर्ष 2008–09 के दौरान मेसर्स दक्षिण रेल्वे को सौंपने के पश्चात इसका मूल्य समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लगभग 80000 रुपए होने का अनुमान लगाया गया है । इसके अलावा कम्पनी के कारखाने द्वारा तैयार किए गए एक वैगन को नमूने के तौर पर कम्पनी के पास ही रखा गया है । रेल प्राधिकरण द्वारा बचे हुए इस्पात और असंपूर्ण स्थिति में पडे हुए उपकरणों को वापस लेने का प्रयास किया जा रहा है ।

टिप्पणी 14-5 इस्तेमाल से हटाए गए तार के रस्सों (लगभग 4 मेट्रिक टन) और रसायनों की कुछ मात्रा जिसका निपटान नहीं किया गया है को कम्पनी के पास ही रखी गयी है । न्यायालय के निर्णय/खरीदकर्ताओं वितरित करने के पश्चात उसका समायोजन किया जाएगा ।

टिप्पणी 14-6 कम्पनी की नीति के अनुसार खानों और मिलों के पास पडे हुए अयस्क का अंतिम स्टाक 340 मेट्रिक टन जिसका मूल्यांकन नहीं किया गया है, को खाते में नहीं लिया गया है ।

टिप्पणी 14-7 दिखाई नहीं दे रहे 29.65 ग्राम के बी–ड्रिल के नमूनों, जिसमें 26.07 ग्राम स्वर्ण उपलब्ध है, 384 ग्राम शुद्ध चॉदी और 192.50 ग्राम मिण्ट ड्रास बुलियन, जिसे भारत के टकसाल से प्राप्त किया गया था, के संबंध में मुख्य सतर्कता अधिकारी, भारतीय भूसर्वेक्षण द्वारा जॉच की गयी है । भौतिक रूप से न उपलब्ध स्वर्ण और चॉदी के लिए लेखों के अंतर्गत प्रावधान की व्यवस्था की गयी है ।

टिप्पणी 14-8 कम्पनी के विभिन्न भण्डारों में उपलब्ध सामाग्री का मद–वार भौतिक सत्यापन बाहरी लेखापरीक्षक द्वारा वर्ष 2019–20 के दौरान किया गया है । इन परिसंपत्तियों का मूल्यांकन नहीं किया गया क्योंकि यह गोपनीय एवं न्यायालयाधीन है । समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कच्चामाल, भण्डार सामग्री, कलपुर्जों आदि की खरीद नहीं की गयी है । वस्तुसूची के अंतर्गत बताए गए मद कम्पनी के विभिन्न स्थानों पर रखे गए हैं और इन्हें हिलाया नहीं गया है और इनका नियंत्रण सुरक्षा गार्डों को सौंपा गया है जो दिनरात इसकी सुरक्षा में लगे हैं ।

टिप्पणी 14-9 वस्तुसूची को गैर–चालू परिसंपत्तियों के रूप में माना गया है क्योंकि जिनका उपयोग न्यायालय के निर्णय पर निर्भर है निकट भविष्य में नहीं हो सकता है ।

टिप्पणी – 15 चालू परिसंपत्तियाँ – नकद और नकदी समतुल्य

विवरण	**31मार्च, 2021 को मूल्य करोड रुपए में**	31मार्च, 2020 को मूल्य करोड रुपए में
बैंक में उपलब्ध नकद – यूनियन बैंक आफ इण्डिया 945926	**0.02**	0.01
बैंक में उपलब्ध नकद – यूनियन बैंक आफ इण्डिया 945896	**0.07**	0.03
बैंक में उपलब्ध नकद – एसबीआई – बेंगलूरु	**0.00**	0.00
बैंक में उपलब्ध नकद – एसबीआई संख्या 2 (वीआरएस)	**0.00**	0.00
बैंक में उपलब्ध नकद – केनरा बैंक, केजीएफ	**0.01**	0.03
बैंक में उपलब्ध नकद – केनरा बैंक, रामगिरी	**0.01**	0.01
हाथ में उपलब्ध नकद – केजीएफ	**0.00**	0.00
बैंक जमा (एफडीआर) – यूनियन बैंक आफ इण्डिया 945926	**7.78**	2.23
बैंक जमा (एफडीआर) – यूनियन बैंक आफ इण्डिया 945896	**0.00**	3.90
बैंक जमा (एफडीआर) – केनरा बैंक, केजीएफ	**0.63**	0.25
कुल	**8.53**	6.47

टिप्पणी – 16 अन्य चालू परिसंपत्तियाँ – जीएसटी/प्राप्य टीडीएस

विवरण	**31मार्च, 2021 को मूल्य करोड रुपए में**	31मार्च, 2020 को मूल्य करोड रुपए में
बैंक सावधि जमा के ब्याज पर टीडीएस	**0.08**	0.08
प्राप्य सीजीएसटी इनपुट	**0.47**	0.44
प्राप्य सीजीएसटी इनपुट के लिए प्रावधान (वित्त वर्ष 2018–19 तक)	**-0.45**	0.00
प्राप्य एसजीएसटी इनपुट	**0.47**	0.44
प्राप्य एसजीएसटी इनपुट के लिए प्रावधान (वित्त वर्ष 2018–19 तक)	**-0.45**	0.00
प्राप्य इनपुट सीजीएसटी आरसीएम	**0.64**	0.37
प्राप्य इनपुट सीजीएसटी आरसीएम के लिए प्रावधान	**-0.29**	0.00
प्राप्य इनपुट एसजीएसटी आरसीएम	**0.64**	0.37
प्राप्य इनपुट एसजीएसटी आरसीएम के लिए प्रावधान	**-0.29**	0.00
देय इनपुट सीजीएसटी आरसीएम	**-0.07**	-0.08
देय इनपुट एसजीएसटी आरसीएम	**-0.07**	-0.08
कुल	**0.68**	1.56

टिप्पणी 16-1 कम्पनी द्वारा सुरक्षा सेवाएँ और कार्यालयीन कर्मचारियों की सेवाएँ बाहरी स्रोतों को दी गयी हैं । बाहरी स्रोतों की सेवाएँ ली जाने के कारण जीएसटी की आवश्यकता उत्पन्न हुई है । 31.03.2021 को कम्पनी द्वारा सीजीएसटी के अंतर्गत देय समेकित राशि रु. 74,02,441/- और एसजीएसटी की राशि रु. 74,02,441/- है । चूँकि निकट भविष्य में प्राप्य जीएसटी राशि का उपयोग संभव नहीं है, इसकी समतुलय राशि के लिए प्रावधान की व्यवस्था की गयी है ताकि सही ढंग से लेखों का प्रस्तुतीकरण किया जा सके ।

टिप्पणी – 17 अन्य चालू परिसंपत्तियाँ – बजीएमल भूमि के इस्तेमालकर्ता से किराया

विवरण	**31मार्च, 2021 को मूल्य करोड रुपए में**	31मार्च, 2020 को मूल्य करोड रुपए में
प्राप्य किराया – घरेलू और वाणिज्यिक	**10.39**	9.96
अप्रात्य किराए के लिए संचित प्रावधान	**-9.30**	-8.93
प्राप्य किराया एसटीबीपी	**0.16**	0.15
पूर्वप्रत्त/लम्बित किराया	**-0.07**	-0.14
कुल	**1.18**	1.04

टिप्पणी 17-1 कम्पनी के पास कम्पनी के उपनगर में कम्पनी के अधिकारी और कर्मचारियों के उपयोग के लिए 10911 आवास गृह मौजूद हैं । इनमें से भारत सरकार के आदेशानुसार 2812 आवास गृह एसटीबीपी योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को दिए गए हैं। बचे हुए 8099 आवास गृहों में से 4477 आवास गृह लीज / किराए पर, 37 आवास गृह राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान और राष्ट्रीय शिला यांत्रिकी संस्थान को दिए गए हैं और 4 आवास गृह खाली और परित्यक्त स्थिति में मौजूद हैं । 3581 आवास गृह, सुरक्षा व्यवस्था मौजूद होने के बावजूद, अनधिकृत तौर पर अपनाए गए हैं । भारत सरकार द्वारा शीघ्र ही कम्पनी की परिसंपत्तियों के निपटान से संबंधित निर्णय लिया जाएगा ।

टिप्पणी 17-2 वर्ष 1920–21 की अवधि के लिए प्राप्य कुल किराया 7965173/- में से वास्तविक रूप से वसूल किए गए किराया 4252021/- को घटाकर रु. 3713152/- के लिए समीक्षाधीन वर्ष के दौरान नए तौर से प्रावधान की व्यवस्था की गयी है ताकि प्राप्य किराए की राशि के संबंध में लेखों के अंतर्गत सही स्थति दर्शायी जा सके ।

टिप्पणी 17-3 आयु वार घरेलू और वाणिज्यिक भवनों के किराए प्राप्य किराए का विवरण निचे बताए अनुसार है :–

विवरण	**31मार्च, 2021 को मूल्य करोड रुपए में**	31मार्च, 2020 को मूल्य करोड रुपए में
1999–2000 तक	**0.86**	8.06
> 10 वर्ष	**8.86**	8.35
< 10 वर्ष	**0.12**	0.22
< 9 वर्ष	**0.09**	0.10
< 8 वर्ष	**0.07**	0.07
< 7 वर्ष	**0.11**	0.07
< 6 वर्ष	**0.08**	0.09
< 5 वर्ष	**0.04**	0.07
< 4 वर्ष	**0.04**	0.03
< 3 वर्ष	**0.03**	0.03
< 2 वर्ष	**0.05**	0.03
< 1 वर्ष	**0.04**	0.04
कुल	**10.39**	9.96

टिप्पणी – 18 अन्य चालू परिसंपत्तियाँ – अन्य

विवरण	**31मार्च, 2021 को मूल्य करोड रुपए में**	31मार्च, 2020 को मूल्य करोड रुपए में
संचित ब्याज – बैंक सावधि जमा	**0.25**	0.13
कर्मचारियों को अग्रिम – यात्रा ैर अन्य	**0.00**	0.00
बीजीएमएल ईपीएफ खाते से प्राप्य	**0.02**	0.06
कुल	**0.27**	0.19

टिप्पणी – 19 अन्य आय

विवरण	**31मार्च, 2021 को मूल्य करोड रुपए में**	31मार्च, 2020 को मूल्य करोड रुपए में
(क) ब्याज के रूप में आय		
बैंक जमा से ब्याज	**0.40**	0.37
(ख) किराए के रूप में आय		
(i) उपनगर	**0.44**	0.73
(ii) अन्य किरायों से आय	**0.16**	0.24
(ग) विविध आय	**0.02**	0.02
(घ) पेडों की नीलामी/दण्ड वसूली	**0.03**	0.01
कुल	**1.05**	1.37

टिप्पणी – 20 कर्मचारी लाभकारी व्यय

विवरण	**31मार्च, 2021 को मूल्य करोड रुपए में**	31मार्च, 2020 को मूल्य करोड रुपए में
वेतन और मजदूरी – आवश्यक कर्मचारी	**0.31**	0.30
कल्याणकारी – चिकित्सा	**0.00**	0.00
नियोक्ता भविष्य निधि/पेंशन	**0.02**	0.00
कुल	**0.31**	0.34

टिप्पणी – 21 सुरक्षा/मजदूरों की आपूर्ति

विवरण	**31मार्च, 2021 को मूल्य करोड रुपए में**	31मार्च, 2020 को मूल्य करोड रुपए में
सुरक्षा सेवा ठेका	**5.06**	3.79
मजदूर ठेका	**0.30**	0.13
कुल	**5.26**	3.91

टिप्पणी – 22 अन्य व्यय

विवरण	**31मार्च, 2021 को मूल्य करोड रुपए में**	31मार्च, 2020 को मूल्य करोड रुपए में
लेखा परीक्षा व्यय		
व्यय – सांविधिक लेखा परीक्षा	**0.00**	0.00
शुल्क – सांविधिक लेखा परीक्षा	**0.01**	0.01
व्यावसायिक शुल्क		
व्यय (परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन)	**0.00**	0.04
व्यय (ड्रोन सर्वेक्षण)	**0.07**	0.05
अन्य व्यावसायिक शुल्क	**0.03**	0.01
मरम्मत और अनुरक्षण		
कार्यालय उपकरण	**0.02**	0.01
भवन	**0.06**	0.06
यात्रा व्यय		
अध्यक्ष एवं प्रवन्ध निदेशक	**0.02**	0.05
अन्य	**0.03**	0.03
अन्य व्यय		
सामान्य विज्ञापन	**0.00**	0.00
बैंक शुल्क	**0.00**	0.00
पुस्तक और पत्रिकाएँ	**0.00**	0.00
प्रासंगिक व्यय	**0.02**	0.03
कानून व्यय	**0.01**	0.10
वाहन किराया शुल्क	**0.12**	0.11
डाक शुल्क	**0.00**	0.00
मुद्रण और लेखन सामग्री	**0.01**	0.01
टेलिफोन और मोबाइल	**0.01**	0.01
बिजली और प्रकाश	**0.02**	0.02
किराया वसूली शुल्क	**0.01**	0.01
संपदा कर	**0.23**	0.00
कुल	**0.67**	0.54

टिप्पणी – 23 विकास कार्य व्यय

विवरण	**31मार्च, 2021 को मूल्य करोड रुपए में**	31मार्च, 2020 को मूल्य करोड रुपए में
व्यय – (एमईसीएल) समझौता ज्ञापल के लिए	**1.04**	0.00
कुल	**1.04**	0.00

टिप्पणी – 24 वित्तीय लागत

विवरण	31मार्च, 2021 को मूल्य करोड रुपए में	31मार्च, 2020 को मूल्य करोड रुपए में
ब्याज खाता – ओवर ड्राफ्ट एसबीआई (एसबीएम)	**0.00**	45.61
ब्याज खाता – भारत सरकार के ऋण पर ब्याज	**38.87**	38.48
ब्याज खाता – भारत सरकार के ऋणों पर दण्ड ब्याज	**27.13**	25.85
ब्याज – एपी सीजीएम रायल्टी पर ब्याज	**0.02**	0.07
ब्याज – एपी ओबीएम रायल्टी पर ब्याज	**0.01**	0.03
ब्याज – केए–केजीएफ स्वर्ण रायल्टी पर ब्याज	**3.88**	3.91
ब्याज – एपीएसईबी बिली बिलों पर	**0.03**	0.33
कुल	**70.24**	114.29

टिप्पणी – 25 मूल्यह्रास

विवरण	31मार्च, 2021 को मूल्य करोड रुपए में	31मार्च, 2020 को मूल्य करोड रुपए में
मूल्यह्रास – भवन – केजीएफ	**0.13**	0.15
मूल्यह्रास – कार्यालय उपकरण – केजीएफ	**0.01**	0.01
मूल्यह्रास – भवन – वाईएम	**0.00**	0.00
मूल्यह्रास – भवन – सीजीएम	**0.01**	0.01
कुल	**0.15**	0.17

टिप्पणी – 26 प्रावधान और बट्टे खाते

विवरण	31मार्च, 2021 को मूल्य करोड रुपए में	31मार्च, 2020 को मूल्य करोड रुपए में
प्रावधान – जिसकी कोई आवश्यकता नहीं	**239.68**	32.94
कुल	**239.68**	32.94

वर्ष के दौरान वापस लिए गए अन्य अतिरिक्त प्रावधान का विवरण नीचे बताए अनुसार है :–

(रुपए में)

एसबीआई ओवर ड्राफ्ट ओटीएस 2020 के अंतर्गत निबटान	2385331288.00
31.03.2020 तक एपी सरकार को देय रायल्टी की देयता	3266656.00
31.03.2021 तक एपी सरकार बिजली बिलों की देयता	422556.00
31.03.2020 तक केए सरकार को देय रायल्टी की देयता	7810733.00
कुल	2,396,831,233.00

टिप्पणी – 27 पूर्वावधि समायोजन

विवरण	**31मार्च, 2021 को मूल्य करोड रुपए में**	31मार्च, 2020 को मूल्य करोड रुपए में
पूर्वावधि समायोजना लेखा	**22.67**	1.02
कुल	**22.67**	1.02

पूर्वावधि समायोजन का विवरण

(रुपए में)

भारत सरकार को देय ऋण और ब्याज पीएओ के आधुनिकतम समीक्षा के अनुसार	81,906,193.00
संपदा कर के लिए केजीएफ नगरपालिका से प्राप्त आधुनिकतम मांगपत्र के अनुसार	144,840,596.00
कुल	226,746,789.00

टिप्पणी – 28 कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसार आावश्यक अतिरिक्त जानकारी

टिप्पणी – 28.1 आकस्मिक देनदारियॉ (अन्य दावे जो कम्पनी द्वारा देय माने गए हैं)

(करोड रुपए में)

विवरण	**31-3-2021 को**	31-3-2020 को
ठेकेदारों द्वारा किए गए 122 लाख रुपए के दावों को कम्पनी द्वारा देनदारियों के रूप में नहीं माना गया है । कम्पनी द्वारा ही ठेकेदारों से 191.13 लाख रुपए का दावा किया गया है और यह मामला निर्णयकर्ता के पास मौजूद था । निर्णयकर्ता के निर्णय के खिलाफ कम्पनी ने इस मामले को जिला न्ययायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया है । इस पर अभी निर्णय न हो पाने के कारण लेखों के अंतर्गत कोई समायोजन नहीं किया गया है ।	**1.22**	1.22
कम्पनी बन्द करने से पूर्व कम्पनी के पूर्व कर्मचारियों द्वारा किए गए दावे	**6.44**	6.44
भारत सरकार के ऋणों पर किए गए ब्याज के प्रावधान के संदर्भ में कम्पनी के लेखों और पीएओं, खान मंत्रालय में मौजूद अंतर का समाधान होना बाकी है	**0.00**	7.36
कर्नाटक सरकार द्वारा पर्यावरण सुरक्षा शुल्क की मॉग लम्बित है क्योंकि इस दावे संबंध में उनसे अभी पूर्ण विवरण प्राप्त नहीं हुआ है	**43.79**	43.79
कुल	**51.45**	58.81

टिप्पणी – 28.2 कम्पनी की स्थिति

टिप्पणी – 28.2.1 औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर) ने रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अनुसार वर्ष 1992 को दौरान इस कम्पनी को एक रुग्ण इकाई के रूप में घोषित किया गया और बीआईएफआर/एएआईएफआर द्वारा आवश्यक प्रक्रिया को पूरा करते हुए दिनांक 15–11–2000 को रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान)अधिनियम, 1985 धारा 20(1) के अनुसार कम्पनी को बन्द करने के अपने निर्णय को पुष्टीकृत किया गया । तदनुसार श्रम मंत्रालय द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 20(0) के अनुसार दिनांक 1–3–2001 से कम्पनी को बन्द करने की स्वीकृति दिनांक 29–01–2001 को जारी की गयी । कम्पनी के कर्मचारी संगठनों द्वारा कम्पनी

को बन्द करने के इन सभी निर्णयों की चुनौती दी गयी है । इसके अलावा कर्नाटक उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के समक्ष मौजूद अन्य सभी रिट पिटीशनों, बीआईएफआर/एएआईएफआर तथा श्रम मंत्रालय के निर्णयों को माननी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा रद्द करते हुए 16–3–2001 को यह आदेश दिया कि बीजीएमएल को पुनर्जीवित करने के उपयों पर विचार किया जाए । कम्पनी के प्राधिकरण द्वारा कर्नाटक न्यायालय के खण्ड पीठ के समक्ष इस निर्णय के खिलाफ अपील किया गया खण्ड पीठ ने दिनांक 19 अप्रैल, 2001 को इस निर्णय पर रोक लगा दिया । तदुपरांत माननीय खण्ड पीठ ने दिनांक 26 सितम्बर, 2003 को रिट पिटीशन संख्याएँ 157–159, 1343, 5118, 7987 और 4503–07 दूर रखते हुए एकल न्यायाधीश के निणर्य दिनांक 16–3–2001 को रद्द किया । खण्ड पीठ द्वारा केन्द्र सरकार को यह भी सिफारिश किया गया कि कम्पनी के कर्मचारियों को कुछ राहत दिए जाएँ और कर्मचारियों के सहकारी संगठन को कम्पनी की भूमि, मशीनरी और उपकरण दिए जाने और आवास गृह तथा कम्पनी की भूमि उनके पुनर्वास के लिए उन्हें बेचे जाने आदि सुझाव दिए गए ।

टिप्पणी – 28.2.2 केन्द्र सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के सुझावों पर 2006 के दौरान विचार करते हुए नीचे बताए गए निर्णय लिए गए है :–

1) केन्द्र सरकार द्वारा भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड के कर्मचारियों के लिए लागू मानी गयी विशेष सेवा समाप्ति योजना को फिर से एक महीने की अवधि के लिए लागू किया जाए । इसके लिए 72.45 करोड रुपए का प्रावधान किया जाए ।

2) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड के कर्मचारियों के लिए दिनांक 20–12–2002 से एक महीने की अवधि के लिए एसटीबीपी योजना लागू करने के लिए तदर्थ मंजूरी दी जाए ।

3) कर्नाटक राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार कम्पनी के विभिन्न कोटि के आवास गृह कम्पनी के कर्मचारियों को बेचा जाए ।

4) कम्पनी की परिसंपत्तियों को बेचे जाने के लिए सार्वभौमिक निविदा सूचनाएँ आमंत्रित की जाएँ ।

5) सार्वभौतिक निविदा सूचनाएँ आमंत्रित किए जाने की प्रक्रिया की देखरेख के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाए ।

6) निविदा सूचनाओं के आधार पर प्राप्त उत्तम निविदा की दर पर कम्पनी की परिसंपत्तियॉ कर्मचारियों की सहकारी सोसाइटी को दिए जाने का एक प्रस्ताव रखा जाए ।

7) कम्पनी की सभी देनदारियों को, जिसकी पूर्ति कम्पनी की परिसंपत्तियों से नहीं की जा सकती है, को बट्टे खाते डाला जाए ।

8) विशेष निपटान योजना के अंतर्गत कम्पनी के भूतपूर्व कर्मचारियों को कम्पनी की अतिरिक्त भूमि रियायती दरों पर न बेची जाए और

सरकार के इन निर्णयों से भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड को बन्द किए जाने की कार्यवाही सुचारु रूप से संपन्न हो सकेगी ।

टिप्पणी – 28.2.3 केन्द्र भारत सरकार द्वारा बजट सहायता जारी करते हुए दिनांक 22–12–2006 से विशेष स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लाभ योजना (एसटीबीपी) कम्पनी के सभी कर्मचारियों, 4 कर्मचारियों जिनपर कानूनी मामले मौजद हैं को छोडकर, के लिए लागू की गयी । कम्पनी के आवास गृहों के लिए वास्तविक निवास स्थान का मूल्य, जैसाकि न्यायालय द्वारा सुझाया गया है, कर्मचारियों से वसूल किया गया जिसे उनके स्वामित्य संबंधित अन्य औपचारियताएँ पूरा करने तक के लिए कर्मचारियों से प्राप्त अग्रिम के रूप में लेखों के अंतर्गत दर्शाया गया है ।

टिप्पणी – 28.2.4 खान सचिव, भारत सरकार की अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालय समिति का गठन दिसम्बर, 2006 में किया गया है ताकि सार्वभौमिक निविदा सूचनाएँ आमंत्रित किए जाने की कार्यवाही की जा सके । वर्ष 2007 के दौरान एक परामर्शदाता नियुक्त किया गया ताकि कम्वनी की परिसम्पत्तियों पर जानकारी और एक ज्ञापन तैयार किया जा सके और सार्वभौतिक निविदा सूचनाएँ आमंत्रित करने के किए संबंधित अभिलेख तैयार किए जा सके । इस परामर्शदाता द्वारा अंतर मंत्रालय समूह और केन्द्र सरकार के अनुमोदन पर कर्नाटक के उच्च न्यायालय (कम्पनी न्यायालय) के समक्ष एक रिपोर्ट दिनांक 9 जुलाई, 2008 को प्रस्तुत की गयी है । इस पर माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने जुलाई, 2009 को अपना निर्णय सुनाते हुए मसौदें में कुछ परिवर्तन करते हुए सार्वभौमिक निविदा सूचनाएँ जारी किए जाने के लिए अपनी अनुमति प्रदान की । इस बीच कम्पनी एवं सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायाल के एकल न्यायाधीश के निर्णय के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय के खण्डपीठ के समक्ष अक्तूबर, 2010 को एक अपील प्रस्तुत की गयी । माननीय बेंच ने अगस्त, 2010 को इस पर अपना निर्णय सुनाते हुए कम्पनी और सरकार के सभी आवेदनों को तिरस्कृत कर दिया और सरकार को निर्देश दिया कि इस मामले पर फिरसे एक बार जॉच करें ।

टिप्पणी – 28.2.5 कम्पनी एवं भारत सरकार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक विशेष लीव पिटीशन (एस.एल. पी) दर्ज किया गया । माननीय उच्चतम न्यायालय के उच्च न्यायालय के उक्त बेंच के निर्णय को दूर करते हुए इस एसएलपी का निपटान कर दिया गया है और केन्द्र सरकार के मंत्रिमण्डल केजुलाई, 2006 के निर्णय के अनुसार सार्वभौमिक निविदा सूचना जारी करने का आदेश दिया । नवम्बर 2013 के दौरान मेसर्से मेकान लिमिटेड को अंतर मंत्रालय समिति तथा मंत्रालय की देखरेख में सार्वभौमिक निविदा सूचना तैयार कर कम्पनी की परिसंपत्तियों को के लिए कम्पनी के परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया । इसबीच कम्पनी के खनन पट्टों की समयावधि समाप्त हो गयी है ।

टिप्पणी – 28.2.6 इस बीच कम्पनी अधिनियम 1956 और कम्पनी (न्यायालय) के नियम, 1959 के अधीन कम्पनी (न्यायालय) और उच्च न्यायालय द्वारा आगे की कार्यवाही की जा रही है जिसे गोपनीय और न्यायालयाधीन मामला माना गया है । फिरभी, समायोजन और प्रावधान आदि के संबंध में देनदारियों, वर्गीकरण और विभिन्न परिसंपत्त्यिों की प्राप्ति एवं कम्पनी की देनदारियों के निपटान के वित्तीय विवरणों को इससे संबंधित सख्त नियमों के कारण एक चालू कम्पनी के रूप में न करना संभव नहीं हो पा पहा है । अतः लेखों की तैयारी और आंकडों के समीकरण के लिए वैकल्पिक पद्धति के अभाव में कम्पनी को एक चालू कम्पनी मानकर ही लेखे तैयार किए गए हैं । परिणामतः कम्पनी के लेखों पर समायोजनों और उसके प्रभाव यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया गया है ।

टिप्पणी – 28.2.7 उपर्युक्त अनुच्छेदों में बताए गए तथ्यों को ध्यान में रखते हुए लेखों की तैयारी के संदर्भ में 1)स्थायी परिसंपत्तियों का मूल्यांकन (लेखा मानक 10) 2) आंशिक रिपोर्टिंग (लेखा मानक 17) 3) संबंधित पार्टियों की घोषणा(लेखा मानक 18) 4) करों का लेखाकरण(लेखा मानक 22) 5)स्थगित कार्यकलाप (लेखा मानक 24) और 6)परिसंपत्तियों में खराबी (लेखा मानक 28)लेखा मानकों को लागू नहीं किया गया है क्योंकि वे वस्तु स्थिति में या तो संगत नहीं हैं अथवा व्यावहारिक नहीं हैं ।

टिप्पणी – 28.3 कम्पनी भूमि और संपत्ति के पट्टे

इसके अंतर्गत पट्टे पर दी गयी निम्नलिखित भूमि और संपत्ति सम्मिलित है :

(1) 117.95 एकड भूमि विभिन्न निजी पार्टियों और संस्थानों को आवासीय और वाणिज्यिक स्थापनाओं के रूप में पट्टे पर दी गयी है और इन सभी पट्टों की अवधि अब समाप्त हो चुकी है । फिरभी, कम्पनी द्वारा अवधि समाप्त पट्टों की शर्तों पर ही किराया वसूल किया जा रहा है ।

(2) केन्द्रीय कारखाना (यांत्रिक) और नन्दीद्रुग कारखाने से संबंधित सभी सम्पत्तियॉ, भूमि, भवन, निर्माण आदि तथा कुछ खाली जमीन जिसकी मात्रा 1109 एकड है, मेसर्स भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड को कुछ शर्तों के अनुसार 10 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर दी गयी है जो 05–05–2014 को समाप्त हो गयी है । पट्टे पर दी गयी इन परिसम्पत्तियों को उक्त कम्पनी को पूर्णतः बेच दिए जाने अथवा स्थायी तौर पर पट्टे पर दिए जाने के संबंध में सरकार/उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय अभी न लिए जाने के कारण ये परिसम्पत्तियॉ उक्त कम्पनी के अधीन ही हैं । वर्ष 2004–05 के दौरान पट्टे की शर्तों के अनुसार उक्त कम्पनी से प्राप्त 1.00 करोड रुपए की राशि को लेखों के अंतर्गत चालू देनदारियों के रूप में दर्शाया गया है । कर्नाटक राज्य के उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार जमा राशि को 15 जुलाई, 2008 तक संचित ब्याज समेत उच्च न्यायालय के पास दिनांक 17–7–2008 को जमा किया गया है और इसे कम्पनी के लेखों के अंतर्गत ऋण और अग्रिम (परिसम्पत्तियॉ) के अंतर्गत जमा राशि के रूप में दर्शाया गया है ।

टिप्पणी – 28.4 खनन पट्टे

टिप्पणी – 28.4.1 आन्ध्र प्रदेश में उपलब्ध खनन पट्टे

आन्ध्र प्रदेश में उपलब्ध कम्पनी के खनन पट्टों का विवरिण नीचे बताए अनुसार है :–

स्थान	एकड मेंमात्रा	दिनांक से	पट्टा समाप्ति दिनांक	आन्ध्र प्रदेश द्वारा पट्टे समाप्त दिनांक
चिगरगुण्टा	551	30/8/1988	29/8/2008	18/11/2006
रामगिरी	416.18	11/05/1982	01/04/2002	02/03/2005
बिसानातम / अतिनातम	105.25	30/12/1993	03/11/2013	18/11/2006

आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा सभी तीन खानों से संबंधित पट्टों का नवीकरण करने से तिरस्कार किया गया है ।
कम्पनी द्वारा पुनरीक्षण प्राधिकरण, भारत सरकार, खान मंत्रालय के पास इसके खिलाफ अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है । किन्तु पुनरीक्षण प्राधिकरण ने एप्पमाना खान, चिगरगुण्टा खान और पुरानी बिसानात्तम खानों के नवीकरण से संबंधित कम्पनी के अभ्यावेदन को आदेश संख्या 454/2011 दिनांक 29–06–2011 के अनुसार तिरस्कृत कर दिया है क्योंकि कम्पनी द्वारा इसके लिए रायल्टी और संचित ब्याज की राशि का भुगतान नहीं किया है ।

कम्पनी द्वारा पुनरीक्षण प्राधिकरण के इस निर्णय के खिलाफ चगरगुण्टा खान और पुरानी बिसानात्तम खान के संदर्भ में आन्ध्र प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय में एक मामला संख्याः 3055/2013 दायर किया गया जिसे माानीय न्यायालय ने विचारार्थ स्वीकृत कर लिया है । इस बीच, आन्ध्र प्रदेश सरकार ने अधिसूचना संख्या 8322/पी–एमबीए/2017–1 दिनांक 23–4–2018 जारी करते हुए 262.01 हेक्टेर की मात्रावाली चिगरगुण्टा बिसानात्तम खनिज ब्लाक के खनन पट्टे की मुजूरी के लिए बोली आमंत्रित की है जिसके अंतर्गत फिलहाल बीजीएमएल के पास उपलब्ध खनन पट्टे भी सम्मिलित हैं

इस संदर्भ में कम्पनी द्वारा निदेशक, खनन और भूविज्ञान विभाग, राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मॉगा गया है कि क्या बीजीएमएल को पट्टे पर दिए गए क्षेत्र को उपर्युक्त निविदा में सम्मिलित है । कम्पनी के पास उपलब्ध भूमि को इसके अंतर्गत सम्मिलित न करने का अनुरोध किया गया है ताकि कानूनी समस्या उत्पन्न न हो क्योंकि कम्पनी से संबंधित मामला न्यायालयाधीन है ।

मेसर्स भूतपूर्व बीजीएमएल कर्मचरयों के संगठन – (क) भारत गोल्ड माइन्स सकल कर्मचारी औद्योगिक सहकारी सोसाइटी लिमिटेड (ख) मेसर्स ग्लोबल गोल्ड माइन्स एम्पलाईस इण्डस्ट्रियल कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड द्वारा रिट पिटीशन समर्पित कर तेलंगाणा और आन्ध्र प्रदेश राज्यों के मानीय उच्च न्यायालय जुडिकेचर, हैदराबाद से अनुरोध किया गया है कि आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा 262.01 हेक्टेर की मात्रावाली चिगरगुण्टा बिसानात्तम खनिज ब्लाक के बारे में जारी की गयी अधिसूचना पर सभी प्रकार की कार्यवाही पर रोक लगा दी जाए।

खनिज विधान और खनिज प्रशासन के परिवर्तित वातावरण में बीजीएमएल द्वारा आन्ध्र प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय में दर्ज किए गए रिट पिटीशनों को वापस लेने हेतु बीजीएमएल द्वारा आवेदनपत्र समर्पित किया गया है । आन्ध्र प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सानुकूलता दर्शाते हुए सभी रिट पिटीशन वापस लेने के लिए मंजूरी दे दी गयी है ।

चूँकि बीजीएमएल द्वारा सभी रिट पिटीशन वापस ले लिए गए हैं और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इसके लिए स्वीकृति दे दी गयी है, खनन पटटे की भूमि, जो इससे पूर्व बीजीएमएल के पास था, अब उस पर कम्पनी का कोई अधिकार नहीं है । पट्टे की भूमि में मौजूद कम्पनी संस्थानो यथा, कार्यालय भवन, शाफ्ट और मशीनों आदि चल संपत्ति को समुचित न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार निपटाए जाने का कार्य आरंभ किया गया है ।

टिप्पणी – 28.4.1 कर्नाटक में उपलब्ध खनन पट्टे

कम्पनी के पास कर्नाटक राज्य के कोलार जिले में बंगारदगनि और अन्य गॉवों (केजीएफ) में 12882.01 एकड भूमि में खनन पट्टे उपलब्ध हैं जिसे राज्य सरकार ने बीजीएमएल के पक्ष में दिनांक 9–8–1993 से बीस वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया है । अब यह खनन पट्टे दिनांक 8–8–2013 को समाप्त हो गए हैं । कम्पनी द्वारा इन पट्टो के नवीकरण के लिए उनकी समाप्ति तारीख से एक वर्ष पूर्व ही कर्नाटक राज्य सरकार के पास आवेदन समर्पित किए गए हैं ।

खनन पट्टों के नवीकरण कर्नाटक राज्य सरकार से बातचीत की जा रही है । एमएमडीआर के नियमों में संशोधन के कारण खुली नीलामी पद्धति पर ही इनका अंतरण हो सकता है ।

कर्नाटक सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि वह बीजीएमएल के पक्ष में खनन पट्टे नवीकरण करने को तैयार है यदि कोई सफल बोली बोलनेवाला सामने न आए। अतः वर्ष 2006 के मंत्रिमण्डल के निर्णय को कार्यान्वित करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है ।
वर्ष 2015 के दौरान एमएमडीआर के नियमों में संशोधन को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा कर्नाटक राज्य सरकार के समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया है कि राज्य सरकार द्वारा भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड कम्पनी के स्वामित्व अपना लिया जाए । किन्तु कर्नाटक सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि जहॉ है जिस हालत में है के आधार पर बीजीएमएल के स्वामित्व को टोकन राशि पर अपनाने के लिए तैयार नहीं है ।

अब खान मंत्रालय द्वारा बीजीएमएल के भविष्य के मार्ग की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है । इसी प्रयास क अंतर्गत खनिज गवेषण न किए गए क्षेत्र में खनिज गवेषण निगम लिमिटेड (एमईसीएल) द्वारा गवेषण कार्य करवाए जा रहे हैं । खान मंत्रालय के अनुसंधान और विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बीजीएमएल के मिल के रेत के ढेरों का परीक्षण एनएफटीडीसी, हैदराबाद से करवाया जा रहा है ताकि उनसे स्वर्ण और अन्य धातु निकाले जाने की संभावनाओं का पता लगाया जा सके ।

एनएफटीडीसी द्वारा गैर सायनाइड माध्यम से मिल के रेत के ढेरों का प्रसंस्करण किया गया और पता लगाया गया कि इसके अंगर्गत स्वर्ण के अलावा पलाडियम और रोडियम जैसे दुर्लभ धातु उपलब्ध हैं । संपूर्ण धातुओं का उत्खनन के पश्चात बची हुई सामग्री का उपयोग भवन निर्माण में इस्तेमाल किए जाने बाले ईंटों की तैयारी के लिए किया जा सकता है । यह अध्ययन अनुसंधान और विकास का कार्य मात्र है और इसकी लागत से संबंधत कोई विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है ।

बेतरायस्वमी और दोड्डपेट ब्लाक के अंतर्गत एमईसीएल द्वारा किए गए गवेषणात्मक कार्यों के परिणाम आशाजनक नहीं हैं । फिरभी, मेक टागर्ट पश्चिम और उसके समानांतर लोड के अंतर्गत 1.044 मिलियन टन खनिज स्रोत 1.0 ग्राम प्रति टन के कटआफ ग्रेड की तुलना में 2.97 ग्राम प्रति टन उपलब्ध होने का पता लगाया गया है ।

इसके अलावा, ओरिएण्डल लोड और गैर–वर्गीकृत लोडों के अंतर्गत 1.0 मिलियन टन के अयस्क स्रोत उपलब्ध होने का पता लगाया गया है जिससे कटाफ ग्रेड 0.5 ग्राम प्रति टन की तुलना में 1.14 ग्राम प्रति टन उपलब्ध होने का पता लगाया गया है ।

बीजीएमएल के लिए आगे का मार्ग पता लगाने के लिए नियुक्त कार्यकम प्रबन्धक एमईसीएल द्वारा बीजीएमएल से संबंधित नीतिपरक, न्यायिक और वाणिज्यिक मामलों की देखरेख के लिए मेसर्स डीएमटी कन्सल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोलकता की तैनाती की गयी है ताकि वह बीजीएमएल के भविष्य के लिए आगे का मार्ग का सुझाव दे सके । डीएमटी द्वारा एक परिकल्पना प्रतिवेदन और समरक्षा प्रतिवेदन समर्पित किया गया है । अंतिम प्रतिवेदन अगस्त, 2021 के दौरान सपर्पित किया जाना है ।

टिप्पणी – 28.5 अग्रिम, विविध देनदार और ऋणदाता

टिप्पणी – 28.5.1 पार्टियों की बकाया राशि औपचारिक पुष्टीकरण और मान्यता के आधार पर है ।

टिप्पणी – 28.5.2 अग्रिम, विविध देनदार और ऋणदाताओं की शेष बकाया राशि के लिए खातों की समीक्षा उनके पुष्टीकरण की सीमा तक के लिए की गयी है । वास्तविक स्थिति की जानकारी के लिए आगे और समीक्षा जारी रखी गयी है । कुछ देनदारियों/अग्रिम, जो 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए लंबित हैं और संबंधित पार्टियों द्वारा जिनका पुष्टीकरण नहीं किया गया है, के लिए लेखों के अंतर्गत कोई प्रावधान की व्यवस्था नहीं की गयी है ।

टिप्पणी – 28.5.3 आवश्यक जानकारी के अभाव में भारत सरकार, विधि, न्याय और कम्पनी मामलों के विभाग द्वारा जारी की गयी राजपत्र अधिसूचना दिनांक 22–2–1999 द्वारा अपेक्षित रूप में लघु औद्योगिक उपक्रम के रूप में वर्गीकरण नहीं किया गया है । इसी प्रकार माइक्रो, लुघु और मध्यम उद्योग विकास अधिनियम 2006 की धारा 22 का अनुपालन नहीं किया गया है ।

टिप्पणी – 28.6 अपेक्षित अन्य जानकारी

टिप्पणी – 28.6.1 कम्पनी के कार्यकलापों को मार्च, 2001 से पूर्णतः बन्द कर दिए जाने से स्थापित क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग से संबंधित विवरण कुछ नहीं है ।

टिप्पणी – 28.6.2 तैयार माल

कोष्ठक के अंतर्गत दिए गए ऑकडे पिछले वर्ष से संबंधित हैं ।

(लाख रुपए मे)

विवरण	यूनिट	आरंभिक स्टाक	उत्पादन/ अंतरण	बिक्री	समायोजन	अंतिम स्टाक	बिक्री मूल्य
स्वर्ण	ग्राम	34.67 (34.67)	निल (निल)	निल (निल)	-26.07 (-26.07)	8.6 (8.6)	0.22 (0.22)
चॉदी	ग्राम	384 (384)	- (निल)	- (निल)	-384.00 (-384.00)	0 0	निल (निल)

टिप्पणी – 28.6.3 कच्चामाल (लाख रुपए मे)

	हालो ड्रिल स्टील				टी.सी. इनसर्ट्स			
	2020-2021		2019-2020		2020-21		2019-20	
	कि.ग्रा	लाख रु	कि.ग्रा	लाख रु	कि.ग्रा	लाख रु	कि.ग्रा	लाख रु
आरंभिक स्टाक	5057	2.25	5057	2.25	881	1.76	881	1.76
क्रय/समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-
अंतिम स्टाक	5057	2.25	5057	2.25	881	1.76	881	1.76
खपत	-	-	-	-	-	-	-	-

टिप्पणी – 28.6.4 लागत बीमा भाडे के आधार पर आयातित सामग्री का मूल्य : निल (पिछले वर्ष निल)

टिप्पणी – 28.6.5 विदेशी मुद्रा में व्यय : निल (पिछले वर्ष निल)

टिप्पणी – 28.6.6 विदेशी यात्रा पर व्यय : रु. निल (पिछले वर्ष रु. निल)

टिप्पणी – 28.6.7 कोष्ठक में दिए गए ऑकडे पिछले वर्ष के उक्त ऑकडों को दर्शाते हैं । पिछले वर्ष के ऑकडों को आवश्यकतानुसार फिरसे समुचित रूप से वर्गीकृत किया गया है ताकि वे चालू वर्ष के लेखों के प्रस्तुतीकरण के अनुरूप हों ।

टिप्पणी – 28.6.8 इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 1) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1985 के अनुसार कम्पनी को एक रुग्ण औद्योगिक इकाई के रूप में घोषित किए जाने और 2) कम्पनी को बन्द किए जाने से संबंधित बी.आई.एफ.आर. के विचार को कर्नाटक राज्य के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टीकृत किए जाने 3) औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 25 (ओ) के अनुसार दिनांक 1–3–2001 से इस कम्पनी को बन्द किए जाने के आदेश के लिए अनुमति श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने के परिणामस्वरूप कम्पनी के उत्पादन से संबंधित कार्यकलापों को पूर्णतः बन्द कर दिया गया है, समीक्षाधीन वर्ष 2020–21 के दौरान कम्पनी से संबंधित उत्पादन और सामान्य कारोंबार से संबंधित विवरण कुछ भी नहीं है । फिरभी, 31.03.2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी के वार्षिक लेखों की तैयारी चालू कम्पनी के आधार पर ही किया गया है ।

टिप्पणी – 28.6.9 कोष्ठक **लेखों पर टिप्पणी संख्याएँ 1 से 28 और प्रमुख लेखा नीतियॉ लेखों के ही भाग हैं ।**

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से *30–07–2021*

ह0 अरुण गोयल	**ह0 डा. वीणा कुमारी**	**ह0 फरीदा एम. नायक**	**ह0 डा. रंजीत रथ**
निदेशक (वित्त)	निदेशक	निदेशक	प्रबन्ध निदेशक
निपसं: 8923137	निपसं: 8890469	निपसं: 7612050	निपसं: 8275277

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते **पाम्पन्ना एण्ड कम्पनी**
सनदी लेखाकार
पंजीकारण संख्याः 010225एस

ह0 पाम्पन्ना
प्रोप्राइटर
सदस्यता संख्या : 207100

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 04–08– 2021

संशोधित स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

(उपनिदेशक, नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षा के पत्र संख्याः डीजीसीए /हैदराबाद/लेखा डेस्क/बीजीएमएल/2020.21/1.61/180 दिनांक 15.09.2021 द्वारा जारी की गयी अनन्तिम टिप्पणियों के परिणाम स्वरूप यह रिपोर्ट हमारे स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के दिनांक 04.08.2021 के रिपोर्ट का अतिक्रमण करता है)

सेवा में,
शेयरधारी
भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड

वित्तीय विवरणों की लेखा पारक्षा पर रिपोर्ट

प्रतिकूल विचार

हमने भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, (जिसे रिपोर्ट के अंतर्गत कम्पनी के रूप में संबांधित किया गया है) के लेखा विवरणों, जिसके अंतर्गत 31 मार्च, 2021 को कम्पनी का तुलनपत्र और उसी तारीख को समाप्त होनेवाले वर्ष के लाभ और हानि लेखों तथा नकदी प्रवाह विवरण और प्रमुख लेखा नीतियों के सारांश तथा अन्य स्पष्टीकरणों (जिसे रिपोर्ट के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के रूप में संबांधित किया गया है) की जॉच की है ।

हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दी गयी स्पष्टीकरणें के अनुसार इस रिपोर्ट के प्रतिकूल विचार के आधार के अंतर्गत बताई गयी बातों के महत्व को देखते हुए संलग्न वित्तीय विवरण भारत के स्वीकृत सामान्य लेखा पद्धतियों का पालन नहीं करते हैं और 31 मार्च, 2021 को कम्पनी के कार्यकलापों एवं उस तारीख को उसके नकदी प्रवाह के संदर्भ में एक सही एवं उचित चित्र प्रस्तुत नहीं करते हैं ।

प्रतिकूल विचार का आधार

(क) हमारी राय में टिप्पणी संख्याएँ 28.2 के अंतर्गत दिए गए विवरणों, जो कम्पनी के लेखों का ही एक भाग है, के आधार पर इस कम्पनी को एक **चालू कम्पनी** नहीं माना जा सकता है और के अंतर्गत चूचित किया गया है कि :–

औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर) ने रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अनुसार वर्ष 1992 को दौरान इस कम्पनी को एक रुग्ण इकाई के रूप में घोषित किया गया और बीआईएफआर/एएआईएफआर द्वारा आवश्यक प्रक्रिया को पूरा करते हुए दिनांक 15–11–2000 को रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 धारा 20(1) के अनुसार चमुचित आधारों पर कम्पनी को बन्द करने के अपने निर्णय को पुष्टीकृत किया गया है ।

(ख) लेखों पर टिप्पणी के अंतर्गत टिप्पणी संख्या 11.3 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जो कम्पनी के लेखों का ही एक भाग है, के अनुसार कम्पनी के उपनगर में कम्पनी के अधिकारी और कर्मचारियों के उपयोग के लिए 10911 आवास गृह मौजूद हैं । इनमें से भारत सरकार के आदेशानुसार 2812 आवास गृहएसटीबीपी योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को दिए गए हैं। बचे हुए 8099 आवास गृहों में से 4477 आवास गृह लीज/किराए पर, 37 आवास गृह राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान और राष्ट्रीय शिला यांत्रिकी संस्थान को दिए गए हैं और 4 आवास गृह खाली और परित्यक्त स्थिति में मौजूद हैं ।
आवश्यक जानकारी के अभाव में हम इसके परिणाम स्वरूपम वित्तीय विवरणों में पडनेवाले प्रभाव का आकलन करने की स्थिति में नहीं हैं ।

(ग) लेखों पर टिप्पणी के अंतर्गत टिप्पणी संख्या 11.4 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है,, जो कम्पनी के लेखों का ही एक भाग है, के अनुसार कम्पनी द्वारा राष्ट्रीय शिला यांत्रिकी संस्थान को अंतरित संपत्तियों (लगभग 10 एकड से अधिक भूमि) को कम्पनी के लेखों के अंतर्गत ही रखा गया है क्योंकि उनके स्थायी अंतरण से संबंधित कानूनी और अन्य

औपचारिकताएँ अभी पूरी नहीं की गयी हैं और भार सरकार से इस संबंध में समुचित निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं । भौतिक रूप से ये संपत्तियॉ उक्त पार्टियों के पास मौजूद होने के बावजूद इसका स्वामित्व अभी भी कम्पनी के पास ही है ।
आवश्यक जानकारी के अभाव में हम इसके परिणाम स्वरूपम वित्तीय विवरणों में पडनेवाले प्रभाव का आकलन करने की स्थिति में नहीं हैं ।

(घ) लेखों पर टिप्पणी के अंतर्गत टिप्पणी संख्या 11.5 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जो कम्पनी के लेखों का ही एक भाग है, के अनुसार 2812 आवास भवन निर्मित भूमि, जिसकी मात्रा लगभग 31.90 एकड है, जिसे भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार कम्पनी को बन्द करते समय कार्यरत भूतपूर्व कर्मचारियों को बेचा गया है । कर्मचारियों को बेचे गए 2732 आवास गृहों से लगभग 15 रुपए प्रति वर्ग फीट की दर पर 21691251 रुपए प्राप्त हुआ है जिसे कम्पनी के लेखों अंतर्गत ही दर्शाया गया है क्योंकि उनके स्थायी अंतरण से संबंधित कानूनी और अन्य औपचारिकताएँ अभी पूरी नहीं की गयी हैं । आवास भवनों के साथ जुडी हुई आसपास की भूमि, जिस की मात्रा लगभग 91 एकड हैं, को किस सीमा तक और किस दर पर कम्पनी के भूतपूर्व कर्मचारियों को अंतरित किया जाना है, के संबंध में सरकार द्वारा अभी अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है । अभी 75 आवास गृहों के लिए कर्मचारियों द्वारा भुगतान नहीं किया गया है । उनसे नाममात्र की दर पर मासिक किराया वसूल किया जा रहा है । 5 आवास गृह खाली और परित्यक्त स्थिति में मौजूद हैं ।
आवश्यक जानकारी के अभाव में हम इसके परिणाम स्वरूप वित्तीय विवरणों में पडनेवाले प्रभाव का आकलन करने की स्थिति में नहीं हैं ।

(ड.) लेखों पर टिप्पणी के अंतर्गत टिप्पणी संख्या 11.11 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जो कम्पनी के लेखों का ही एक भाग है, के अनुसार समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी की भूमि को छोड कर अन्य स्थायी परिसंपत्तियों का मदवार भौतिक सत्यापन वर्ष 2019–20 के दौरान एक बाहरी लेखा परीक्षक द्वारा किया गया है और कम्पनी के प्रबन्धन द्वारा उनकी रिपोर्ट स्वीकृत की गयी है । कम्पनी की परिसंपत्तियों का समाधान स्थायी परिसंपत्तियों के रजिस्टर के साथ नहीं किया गया है क्योंकि यह गोपनीय और न्यायालयाधीन है ।

(च) लेखों पर टिप्पणी के अंतर्गत टिप्पणी संख्या 14.1 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जो कम्पनी के लेखों का ही एक भाग है, के अनुसार वस्तुसूची लेखा के अंतर्गत सूकचत किया गया है कि :–

वस्तुसूची के अंतर्गत स्क्रैप किए गए ताम्बे के बिजली के तार (जिसे हाल ही में हटाया गया है) सम्मिलित नहीं है जिसका वजन 150 टन और मूल्य लगभग 6 करोड रुपए है जिसके निपटान का अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है । इसी प्रकार सतह पर पडे हुए 33 मिलियन टन रेत के ढेरों, जिससे 13.2 मेट्रिक टन स्वर्ण निकाला जा सकता है, को खाते के अंतर्गत नहीं लिया गया है । इसी प्रकार 8.6 ग्राम स्वर्ण, 12,386 ग्राम वनज वाले 14 स्वर्ण अयस्क के नमूने, प्लाटिनम के क्रूसिबुल और परीक्षण प्रयोगशाला के मद जिन्हें कार्पोरेशन बैंक, राबर्टसनपेट के लाकरों में रखा गया है और जिनका वास्तविक मूल्य का निर्धारण नहीं किया गया है, को खाते के अंतर्गत नहीं लिया गया है । इसके अलावा 5057 किलो ग्राम वनज के 881 हालोड्रिल स्टील, टीसी इनसर्ट्स जिन्हें कम्पनी के केन्द्रीय कारखाने में रखा गया है, को लेखों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है क्योंकि उनसे प्राप्य मूल्य का आकलन नहीं किया गया है । मदवार वस्तुसूची के भैतिक स्टाक का सत्यापन वर्ष 2019–20 के दौरान एक बाहरी लेखा परीक्षक द्वारा किया गया है । वस्तुसूची का मूल्यांकन नहीं किया गया है क्योंकि यह गोपनीय और न्यायालयाधीन है ।
आवश्यक जानकारी के अभाव में हम इसके परिणाम स्वरूप वित्तीय विवरणों में पडनेवाले प्रभाव का आकलन करने की स्थिति में नहीं हैं ।
(छ) लेखों पर टिप्पणी के अंतर्गत टिप्पणी संख्या 28.3(1) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जो कम्पनी के लेखों का ही एक भाग है, के अनुसार 117.95 एकड भूमि विभिन्न निजी पार्टियों और संस्थानों को पट्टे पर दी गयी है । इन सभी पट्टों की समयावधि समाप्त हो चुकी है । कम्पनी द्वारा समयावधि समाप्त पट्टो की शर्तों के आधार पर ही किराए की वसूली की जा रही है ।

आवश्यक जानकारी के अभाव में हम इसके परिणाम स्वरूप वित्तीय विवरणों में पडनेवाले प्रभाव का आकलन करने की स्थिति में नहीं हैं ।

(ज) लेखों पर टिप्पणी के अंतर्गत टिप्पणी संख्या 28.5 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जो कम्पनी के लेखों का ही एक भाग है, के अनुसार पार्टियों की बकाया राशि औपचारिक पुष्टीकरण और मान्यता के आधार पर है । अग्रिम, विविध

देनदार और ऋणदाताओं की शेष बकाया राशि के लिए खातों की समीक्षा उनके पुष्टीकरण की सीमा तक के लिए की गयी है । वास्तविक स्थिति की जानकारी के लिए आगे और समीक्षा जारी रखी गयी है । कुछ देनदारियों/अग्रिम, जो 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए लंबित हैं और संबंधित पार्टियों द्वारा जिनका पुष्टीकरण नहीं किया गया है, के लिए लेखों के अंतर्गत कोई प्रावधान की व्यवस्था नहीं की गयी है । आवश्यक जानकारी के अभाव में भारत सरकार, विधि, न्याय और कम्पनी मामलों के विभाग द्वारा जारी की गयी राजपत्र अधिसूचना दिनांक 22–2–1999 द्वारा अपेक्षित रूप में लघु औद्योगिक उपक्रम के रूप में वर्गीकरण नहीं किया गया है । इसी प्रकार माइक्रो, लुघु और मध्यम उद्योग विकास अधिनियम 2006 की धारा 22 का अनुपालन नहीं किया गया है ।
आवश्यक जानकारी के अभाव में हम इसके परिणाम स्वरूप वित्तीय विवरणों में पडनेवाले प्रभाव का आकलन करने की स्थिति में नहीं हैं ।

(झ) जीएसटी रिटर्नों के सत्यापन से पता चलता है कि कम्पनी द्वारा खनिज गवेषण निगम लिमिटेड (एमईसीएल) द्वारा किए गए रु. 4,77,35,796/- के कर देय विकास एवं गवेषणात्मक कार्यो के लिए रु, 85,92,446/- तक सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा अपनाई गयी है । कम्पनी द्वारा रु. 4,77,35,796/- के कर देय विकास एवं गवेषणात्मक कार्यो और इसके लिए प्राप्त रु, 85,92,446/- को लेखों के अंतर्गत नहीं लिया गया है । इसके परिणाम स्वरूप चालू वर्ष के लाभ को रु. 4,77,35,796/- अधिक दर्शाया गया है और 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के तुलनपत्र में इस मात्रा रु. 4,77,35,796/- को आरक्षण और अधिशेष की हानि में कम दर्शाया गया है । यह चालू परिसंपत्तियॉ, विकास एवं गवेषण व्यय और चालू देनदारियों की राशि क्रमशः रु. 85,92,446/-, रु. 4,77,35,796/- और रु. 5,63,28,242/- के अतिरिक्त है जिसे कम दर्शाया गया है । जीएसटी पोर्टल के अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट और लेखा बहियों अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट का समाधान नहीं किया गया है ।

समाधान विवरण के अभाव में हम लेखा विवरणों पर पडने वाले इसके प्रभाव की मात्रा का आकलन करने की स्थिति में नहीं हैं ।

(ञ) कम्पनी द्वारा तैयार किया गया नकदी प्रवाह विवरण एएस–3 और कम्पनी की लेखा नीति के प्रावधानों के अनुसार नहीं है ।

हमने कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मानक लेखा पद्धति (एसए) के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है । इन मानकों के अनुसार हमारे दायित्व के बारे हमारी रिपोर्ट के अंतर्गत वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए हमारा दायित्व नामक शीर्षक के अंतर्गत विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया है । कम्पनी अधिनियम, 2013 की नीति और प्रावधानों के अनुसार हम कम्पनी से स्वतंत्र है और भारत मे वित्तीय विवरणों की लेखा परीखा के लिए हमारी अपनी नीति है जो कम्पनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनूरूप है । हमारा विशवस है कि हमने समुचित और पर्याप्त विवरण प्राप्त किया है जो हमारे प्रतिकूल विचार के प्रस्तुतीकरण के लिए एक आधार प्रस्तुत करता है ।

प्रमुख लेखा परीक्षा के मुद्दे

प्रतिकूल विचार का आधार नामक उपर्युक्त अनुच्छेद में उल्लिखित मामलों को छोडकर हमें अन्य कोई लेखा परीक्षा के प्रमुख मामलों का पता नहीं चला है जिसके बारे में इस रिपोर्ट के अंतर्गत उल्लेख किया जाना आवश्यक है ।

वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कम्पनी से संबंधित अन्य आवश्यक जानकारी तैयार करने का दायित्व भी कम्पनी के निदेशक मण्डल का ही है । निदेशकों की अन्य जानकारी के अंतर्गत निदेशक मण्डल की रिपोर्ट के साथ जोडे जानेवाले अनुलग्नक, कारोबार के उत्तर दायित्व की रिपोर्ट, निगम प्रशासन और शेयरधारकों की जानकारी आदि सम्मिलित है । किन्तु इसके अंतर्गत वित्तीय विवरण और हमारी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में सम्मिलित नहीं है । अन्य जानकारी जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है हमारी इस तारीख की रिपोर्ट के पश्चात उपलब्ध कराए जाने की आशा है ।

हमारी राय में वित्तीय विवरणों के अंतर्गत अन्य विवरण सम्मिलित नहीं है और हम इस पर किसी भी प्रकार आश्वासन नहीं दे सकते हैं ।

वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा परीक्षा के दौरान अन्य विवरणों की परीक्षा करना और अन्य विवरण वित्तीय विवरणों के अनुसार होने की बात को सुनिश्चत करना भी हमारा दायित्व है । लेखा परीक्षा के दौरान हमने देखा है कि अन्य विवरणों को समुचित रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

हमारी लेखा परीक्षा के दायित्व के अंतर्गत हमने सभी दस्तावेजों और उनके साथ संलग्न अनुलग्नकों को पढ लिया है, यदि इनके अंतर्गत कोई तृटियॉ हो तो हम इसके बारे में प्रशासनिक रूप से संबंधित व्यक्तियों को इसके बारे में सूचित करेंगे ।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबन्धन का दायित्व

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में उल्लिखित ममालों के अनुसार कम्पनी की स्थिति, वित्तीय निष्पपादन, नकदी प्रवाह के संबंध में भारत में आम तौर पर स्वीकृत नीतियों के अनुसार सही और उचित स्वतंत्र वित्तीय विवरणों को तैयार करने का दायित्व कम्पनी के निदेशक मण्डल का है । इसके अंतर्गत कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अनुसार कम्पनी नियम 7, जिसका उल्लेख कम्पनी (लेखा) नियम 2014 है, के अंर्तगत विनिर्दिष्ट रूप में लेखा मानकों का पालन भी सम्मिलित है। इस दायित्व के अंतर्गत कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, धांधलियों के निवारण और उनका पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखा बहियों का रखा जाना, उचित लेखा नीतियों का चयन और अनुपालन, समुचित रूप में निर्णयों का लिया जाना और आकलनों को तैयार किया जाना, पर्याप्त आंतरिक नियंत्रणों की रूपरेखा तैयार किया जाना, उनका कार्यान्वयन और अनुरक्षण आदि सम्मिलित है, जो तृटि अथवा धोखाघडी से मुक्त सही और समुचित वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक हैं ।

वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय यह कम्पनी का ही उत्तर दायित्व है कि वह इस बात का आकलन करले कि कम्पनी एक चालू कम्पनी है और तदनुसार सभी संबंधित जानकारी प्रस्तुत करें । कम्पनी को बन्द करने अथवा कार्यकलापों को बन्द करने के बारे में अथवा वैकल्पिक रूप में जानकारी प्रस्तुत करने के बारे में कम्पनी को ही वास्तविकता के आधार पर सोचविचार करना चाहिए ।

वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते समय इन सभी बातों पर विचार करना भी कम्पनी के निदेशक मण्डल का दायित्व है ।

वित्तीय विवरणें की लेखा परीक्षा के संदर्भ में लेखा परीक्षकों का दायित्व

वित्तीय विवरणों की प्रस्तुतीकरण में धोखाधडी अथवा तृटि के कारण कोई विसंगति न हो, इस बात के लिए कम्पनी से समुचित आश्वासन प्राप्त करना लेखा परीक्षकों का दायित्व है और इस संबंध में हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में हमारी राय सम्मिलित किया जाना है । समुचित आश्वासन का अर्थ कम्पनी की ओर से उच्च स्तरीय आश्वासन है । फिरभी, लेखा परीक्षक इस बात की गारण्टी नहीं दे सकते कि सनदी लेखा परीक्षा की पद्धति के अनुसार लेखा परीक्षा के दौरान ऐसी तृटियॉ अथवा विसंगतियॉ, यदि कोई हों तो, उनका पता लग सकता है । विसंगतियॉ धोखाधडी अथवा तृटि के कारण हो सकती हैं और उन्हें ऐसी स्थिति में प्रमुख माना जाएगा जबकि वे किसी व्यक्ति द्वारा आर्थिक निर्णयों और वित्तीय विवरणों को प्रभावित करने के रूप में की गयी हों ।

सनदी लेखा परीक्षा की पद्धति के अनुसार लेखा परीक्षा के दौरान व्यावसायिक निर्णय लेते हुए हमारी संपूर्ण लेखा परीक्षा को व्यापारिक तथा तथ्यपरक बनाए रखने का प्रयास किया गया है । यह भी सूचित किया जाता है कि :

(i) वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण में धोखाधडी, तृटि अथवा षडयंत्र के कारण कोई विसंगति पाई जाए तो उसका तथा उसके प्रभाव का आकलन किया गया है और लेखा परीक्षा के अंतर्गत हमारी राय को व्यक्त करने के लिए आवश्यक एवं उचित सबूत को प्राप्त किया गया है । घोखाधडी, तृटि, जानबूझकर की गयी धोखाधडी, चूक, गलत प्रस्तुतीकरण अथवा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का अतिक्रमण करते हुए की गयी जालसाजी का पता लगाने में हुई चूक के प्रभाव का आकलन नहीं किया जा सका है ।

(ii) वस्तु स्थिति को ध्यान में रखते हुए लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक लेखा परीक्षा प्रणाली की तैयारी के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के विचार को प्राप्त किया गया है । कम्पनी अधिनियम की धारा 143(3)(1) के अनुसार कम्पनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रणाली उपलब्ध होने और वह प्रभावकारी रूप से अपना कार्य करने की बात को सुनिश्चित किया गया है ।

(iii) कम्पनी के प्रबन्धन द्वारा अपनाई गयी लेखा नीतियों के औचित्य और लेखाओं से संबंधित आकलनों और घोषणाओं की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया गया है ।

(iv) कम्पनी के प्रबन्धन द्वारा चालू कम्पनी के आधार पर तैयार किए गए लेखाओं के औचित्य पर निर्णय लिया जाना और लेखा परीक्षा के लिए प्राप्त सबूतों के आधार पर वर्तमान परिस्थिति में कम्पनी को एक चालू कम्पनी के रूप में मान्यता को जारी रखे जाने की उपयुक्तता पर संदेह उत्पन्न होता है । यदि कोई संदेह की बात की जाए तो तदनुसार हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में इस पर एवं लेखा विवरणों पर समुचित रूप से अभिव्यक्ति की जानी है । यदि ऐसी अभिव्यक्तियॉ अपर्याप्त हों तो हमारी राय में परिवर्तन किया जाना है । हमारे निर्णय, हमारी लेखा परीक्षा की तारीख को इस विषय पर प्राप्त किए गए सबूतों के आधार पर ही है । फिरभी, भविष्य में उत्पन्न होनेवाली परिस्थितियों के कारण कम्पनी पर चालू कम्पनी की मान्यता बन्द हो सकती है ।

(v) वित्तीय विवरणों के समेकित प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन, उनका आकार प्रकार और उसमें सम्मिलित विवरण और घोषणाओं तथा वित्तीय विवरण कम्पनी के कारोबार के बारे में समुचित रूप से अभिव्यक्त करते हैं अथवा नहीं और क्या वे कम्पनी के संबंध में सही और उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं अथवा नहीं का मूल्यांकना किया गया है ।

वित्तीय विवरणों के अंतर्गत विसंगतियों की मात्रा जो व्यक्तिगत अथवा समेकित रूप से हुई हो, के कारण आर्थिक निर्णय यदि समुचित मात्रा में प्रभावित हुए हों तो हम मात्रापरक और गुणवत्तापरक रूप से उसके प्रभाव को (i) हमारी लेखा परीक्षा कार्य की सीमा के अंतर्गत तैयार करने और हमारे कार्य के परिणाम के मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया गया है । और (ii) वित्तीय विवरणों के अंतर्गत देखी गयी विसंगतियों के प्रभाव का मूल्यांकन किया गया है ।

हमने कम्पनी के प्रशासन से संबंधित व्यक्तियों से संपर्क कर अन्य मामलों के अलावा लेखा परीक्षा प्रणाली की सीमा और समयावधि तथा लेखा परीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पाई गयी कमियों समेत देखी गयी अन्य प्रमुख बातों का पता हमारी लेखा परीक्षा के दौरान लगया है ।

हमने कम्पनी के प्रशासन से संबंधित व्यक्तियों को हमारी लेखा परीक्षा के दौरान देखी गयी विसंगतियों की जानकारी, संबद्ध व्यक्तियों को हमारी स्वतंत्रता और प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए समर्पित की है और हमारी आवयकतानुसार संबंधित मामलों के बारे में, जहॉ भी उचित माना गया, उन मामलों की संरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनसे समुचित रूप से संपर्क किया गया है ।

कम्पनी के प्रशासन से संबंधित व्यक्तियों से संपर्क करते समय हमने उन मामलों पर विशेष रूप से ध्यान दिया है जो वर्तमान अवधि के लेखा विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, जिन्हें प्रमुख मुद्दे माने गए हैं । हमने अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अंतर्गत ऐसे मामलों का उल्लेख कानून आवश्यक होने और सार्वजनिक रूप से बहिर्गत करने की बाध्यता मौजूद होने की स्थिति में अथवा विशिष्ट परिस्थितियों और लोकहित को ध्यान में रखकर हुए ही की है ।

अन्य न्यायिक और नियमित आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. कम्पनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (आदेश) द्वारा अपेक्षित रूप में और भारत सरकार द्वारा कम्पनी अधनियम, की धारा 143 उपधारा (11) के अनुसार जारी किए गए आदेश के अनुसार हमारे द्वारा की गयी जॉचों, जिन्हें हमने आवश्यक समझा, के आधार पर और हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार अनुच्छेद 3 और 4 में उल्लिखित मामलों पर हमारे निष्कर्ष **परिशिष्ट–1** के रूप में संलग्न करते हैं ।

2. भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार हम कम्पनी अधिनियम की धारा 143 (5) के अनुसार अपेक्षित रिपोर्ट हम लेखा बहियों और संबद्ध अभिलेखों की अपनी जॉचों और कम्पनी द्वारा हमें दिए गए विवरणों और स्पष्टीकरणों के अनुसार **परिशिष्ट–2** के रूप में संलग्न करते हैं ।

3. कम्पनी अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार हम सूचित करते हैं कि :–

(क) प्रतिकूल विचार का आधार नामक अनुच्छेद में बताए गए मामलों के कारण कम्पनी पर पडनेवाले प्रभाव को छोडकर, हमने अपनी लेखा परीक्षा के लिए सभी जानकारियॉ और स्पष्टीकरण प्राप्त किया है, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के लिए आवश्यक है ।

(ख) प्रतिकूल विचार का आधार नामक अनुच्छेद में बताए गए मामलों के कारण कम्पनी पर पडनेवाले प्रभाव को छोडकर, हमारी राय में और हमें जहॉ तक दिखाई पडता है, कम्पनी द्वारा सभी लेखा बहियॉ, जो कानूनन आवश्यक हैं, समुचित ढंग से रखी गयी हैं ।

(ग) प्रतिकूल विचार का आधार नामक अनुच्छेद में बताए गए मामलों के कारण कम्पनी पर पडनेवाले प्रभाव को छोडकर, इस रिपोर्ट के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए तुलनपत्र, लाभ और हानि का विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण कम्पनी के लेखा बहियों के साथ मेल खाते हैं ।

(घ) प्रतिकूल विचार का आधार नामक अनुच्छेद में बताए गए मामलों के कारण कम्पनी पर पडनेवाले प्रभाव को छोडकर, हमारी राय में, उपर्युक्त स्वतंत्र लेखा विवरण टिप्पणी संख्या 28.2.7 के अंतर्गत बताए गए अनुसार अनुपालन न की गयी और घोषित न की गयी सीमा तक को छोडकर, कम्पनी अधिनियम की धारा 133 और कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के अंतर्गत उल्लिखित लेखा मानकों के अनुरूप ही हैं।

(ड.) अधिसूचना संख्याः जीएसआर 463(ई), दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार निगम मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी की गयी छूट को देखते हुए निदेशकों की अयोग्यता से संबंधित अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं हैं ।

(च) कम्पनी में उपलब्ध आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की व्यवस्था की पर्याप्तता और वित्तीय मामलों के समुचित नियंत्रण के लिए उनके प्रभावकारी होने के संबंध में हमारे विचार के **परिशिष्ट–3** के रूप में अलग से संलग्न किए गए हैं ।

(छ) कम्पनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले अन्य मामलों के संदर्भ हम सूचित करना चाहते हैं कि हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार :

1. कम्पनी द्वारा अपने वित्तीय विवरणों के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित मामलों का विवरण घोषित किया गया है और इनके कारण कम्पनी की वित्तीय स्थिति पर पडने वाले प्रभाव का विवरण भी प्रस्तुत किया गया है । देखें लेखों पर टिप्पणी 28.1
2. कम्पनी के पास कोई व्युत्पन्न अथवा दीर्घकालिक परियोजनाएँ नहीं हैं जिनके लिए भविष्य में हानि हो सकती है ।
3. कम्पनी के पास ऐसी कोई भी रकम नहीं है, जिसे निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि को अंतरित किया जाना है ।

कृते **पाम्पन्ना एण्ड कम्पनी**
सनदी लेखाकार
पंजीकारण संख्याः 010225एस

ह0 पाम्पन्ना
प्रोप्राइटर
सदस्यता संख्या : 207100
यूडीआईएनः 21207100एएएबीआर 2353

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 16–09– 2021

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट–1

परिशिष्ट 1, अधिनिय की धारा 143 और उप–धारा(11) की शर्तों के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कम्पनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (आदेश) तथा अन्य न्यायिक और विनियमों पर हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुच्छेद 1 अंतर्गत उल्लिखित रूप में 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के वित्तीय विवरणों पर उल्लिखत परिशिष्ट है ।

कम्पनी की लेखा बहियों और अभिलेखों की जॉच, जिसे हमने उचित समझा है, और इस संबंध में हमारी लेखा परीक्षा के दौरान दी गयी जानकारी और स्पष्टीकणों के अनुसार हम सूचित करते हैं किः

1. (क) हमारे सत्ययापन के लिए कम्पनी द्वारा स्थायी परिसम्पत्तियों के परिमाण तथा उनकी स्थिति का संपूर्ण विवरण दर्शाने के लिए हमारे समक्ष समुचित अभिलेख नहीं रखे गए हैं । परिणाम स्वरूप हम यह टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है कि कम्पनी द्वारा स्थायी परिसम्पत्तियों के परिमाण तथा उनकी स्थिति का संपूर्ण विवरण दर्शाने वाले अभिलेख रखे गए अथवा नहीं ।

   (ख) हमें दी गयी जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा स्थायी परिसम्पत्तियों की भौतिक जॉच एक बाहरी लेखा परीक्षक द्वारा 2019–20 के दौरान की गयी है और प्रबन्धन द्वारा उनकी रिपोर्ट स्वीकृत की गयी है । किन्तु कम्पनी के स्थायी परिसंपत्तियों के रजिस्टर के साथ इसका मिलान नहीं किया गया है क्योंकि यह गोपनीय एवं नयायालय के अधीन है । अतः समीक्षाधीन वर्ष के दौरान हमारे सत्यापन के दौरान लेखा बहियों की विसंगतियॉ पर कोई टिप्पणी नहीं की गयी है।

   (ग) हमें दी गयी जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी की सभी अचल संपत्तियों के स्वत्वाधिकार के पट्टे, आन्ध्र प्रदेश के रामगिरी में मौजूद 77.61 एकड (वास्तविक लागत 0.86 लाख रुपए) भूमि को छोडकर, कम्पनी के नाम पर ही मौजूद है । उक्त भूमि से संबंधित पट्टे हमारे सत्यापन के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए है ।

2. हमे दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी की वस्तुसूचियों का भौतिक सत्यापन समुचित अंतराल पर नहीं किया जा रहा है । किन्तु मदवार वस्तुसूची का भौतिक सत्यापन वर्ष 2019–20 के दौरान एक बाहरी लेखा परीक्षक द्वारा कराया गया है । किन्तु इसका मूल्यांकन नहीं किया गया है क्योंकि गोपनीय एवं नयायालय के अधीन है । अतः समीक्षाधीन वर्ष के दौरान हमारे सत्यापन के दौरान लेखा बहियों की विसंगतियॉ पर कोई टिप्पणी नहीं की गयी है।

3. हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी द्वारा उन कम्पनियों, संस्थाओं और अन्य पार्टियों को न तो ऋण मंजूर किया गया और न ही उनसे कोई ऋण लिया गया है, जिसे कम्पनी अधिनियम की धारा 189 के अनुसार रखे गए रजिस्टर में दर्ज किया गया है । अतः उक्त आदेश के अनुच्छेद 3(3) (क) से (ग) प्रावधान लागू नहीं होते हैं ।

4. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी अन्य पार्टियों अथवा कम्पनियों, सीमित देनदारी के भागीदारों को कोई ऋण, जो प्रतिभूत या अप्रतिभूत प्रकृति के हैं, मंजूर किया गया है । अतः कम्पनी अधिनिय के आदेश के अनुच्छेद 3(4) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं ।

5. कम्पनी द्वारा जनता से किसी प्रकार की जमा राशि स्वीकृत नहीं की गयी है । अतः भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों और इसके अनुसार बनाए गए अधिनियम की धाराएँ 73 से 76 और अन्य संबंधित प्रावधान और कम्पनी (जमा राशि की स्वीकृति) नियम, 2015 कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं ।

6. केन्द्रीय सरकार द्वारा कम्पनी अधिनिश्म की धारा 148, उप–धारा (1) के अनुसार कम्पनी के कार्याकलापों पर कम्पनी द्वारा लागत अभिलेख रखने की आवश्यकता निर्धारित की गयी है । हमे दी गयी आनकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और

टिप्पणी संख्या 28.2 के अंतर्गत उल्लिखत रूप में कम्पनी की वर्तमान स्थिति और इस बात को ध्यान में रखत हुए कि कम्पनी के कार्यकलाप बन्द कर दिए गए हैं, कम्पनी द्वारा इन अभिलेखों का रखरखाव नहीं किया जा रहा है ।

7. (क) हमें दी गयी जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार तथा लेखा बहियों की जॉच से पता चलता है कि कम्पनी द्वारा भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, आय कर, बिक्री कर, आयात शुल्क, उत्पाद शुल्क वैट, सेस और अन्य सांविधिक देयताएँ, जिनके बारे में कोई मतभेद नहीं है, निम्नलिखत को छोडकर समुचित प्राधिकरणों के पास यथा समय जमा कराया गया है :–

संबंधित अवधि	भविष्य निधि (रुपए)	सीजीईजीआईएस (रुपए)	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (रुपए)	संपदा कर (रुपए)
30-09-2020 तक	6,29,030	3,240	1,21,56,280	14,71,32,506
01-10-2020 से 31-03-2021 तक	1,58,544	720	--	--
31-03-2021 को कुल	**7,87,574**	**3,960**	**1,21,56,280**	**14,71,32,506**

इसके अलावा, जैसाकि हमें स्पष्टीकरण दिया गया है, टपपणी 6 के अंतर्गत दर्शाए गए रूप में केए–खनिज अधिकार कर रु. 4,75,69,680/- और एमएच–मुम्बई नगरपालिका के रु. 56,84,792/- के संबंधित संवैधानिक देयताओं के लिए काई भी विवरण उपलब्ध नहीं ह। ।

(ख) हमें दी गयी जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार आय कर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर आदि की देयता के संबंध में कोई मतभेद नहीं है ।

8. कम्पनी द्वारा सरकार से प्राप्त ऋणों को अदा करने में चूक हुई है, 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए इसका विवरण नीचे बताए अनुसार है :

विवरण	तुलनपत्र दिनांक को चूक की राशि रु.	तुलनपत्र दिनांक को संचित ब्याज की राशि रु.	कुल
भारत सरकार	2,19,29,20,000	15,74,21,63,636	17,93,50,83,636

9. कम्पनी द्वारा समीक्षाधीन वर्ष के दौरान जनता या अन्य पार्टियों से आरंभिक पब्लिक आफर अथवा और आगे के पब्लिक आफर (ऋण निवेश समेत) किसी भी प्रकार की धन राशि प्राप्त नहीं की गयी है । अतः आदेश संख्या का अनुच्छेद 3(9) कम्पनी पर लागू नहीं होता है ।

10. हमारी राय और हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी के अधिकारियों अथवा कर्मचारियों से कोई जालसाजी या धांधली का का मामला सामने नहीं आया है ।

11. निगम कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 5 जून, 2015 को जारी की गयी अधिसूचना संख्याः जीएसआर 463(ई) की धारा 197 के प्रावधान सरकारी कम्पनी पर लागू नहीं है । तदनुसार उक्त आदेश के प्रावधान का अनुच्छेद 3(11) इस कम्पनी पर लागू नहीं माना गया है ।

12. हमारी राय में यह कम्पनी निधि कम्पनी नहीं है । अतः उक्त आदेश के प्रावधान का अनुच्छेद 3(12) इस कम्पनी पर लागू नहीं माना गया है ।

13. हमारी राय में कम्पनी द्वारा किसी संबद्ध पार्टियों से कोई लेनदेन नहीं किया गया है अतः लेखा मानकों की धारा 177 और 188 का अनुपालन इस कम्पनी पर लागू नहीं माना गया है ।

14. हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कम्पनी की लेखा बहियों की हमारी जॉच से पता चलता है कि इस कम्पनी द्वारा समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अपने शेयरों का प्रिफरेन्शियल आबंटन अथवा निजी प्लेसमेण्ट नहीं किया गया है और न ही डिबेंचर पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीय आधार पर जारी किए गए है । तदनुसार उक्त आदेश के प्रावधान का अनुच्छेद 3(14) इस कम्पनी पर लागू नहीं माना गया है ।

15. हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कम्पनी की लेखा बहियों की हमारी जॉच से पता चलता है कि इस कम्पनी द्वारा समीक्षाधीन वर्ष के दौरान किसी भी पार्टी, निदेशको अथवा उनसे संबंधित व्यक्तियों के साथ गैर–नकदी कारोबार नहीं किया गया है । तदनुसार उक्त आदेश के प्रावधान का अनुच्छेद 3(15) इस कम्पनी पर लागू नहीं माना गया है

16. हमारी राय में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 1ए के अनुसार कम्पनी के पंजीकरण कोई आवश्यकता नहीं है । तदनुसार उक्त आदेश के प्रावधान का अनुच्छेद 3(16) इस कम्पनी पर लागू नहीं माना गया है ।

. .

कृते **पाम्पन्ना एण्ड कम्पनी**
सनदी लेखाकार
पंजीकारण संख्याः 010225एस

ह0 पाम्पन्ना
प्रोप्राइटर
सदस्यता संख्या : 207100
यूडीआईएनः 21207100एएएबीआर 2353

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 16–09–2021

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट–2

परिशिष्ट 2, अधिनिय की धारा 143(5) की शर्तों के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कम्पनी अधिनियम तथा अन्य न्यायिक रिपोर्ट और विनियमों की आश्यकताओं पर हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुच्छेद 2 अंतर्गत उल्लेख किए गए अनुसार 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के वित्तीय विवरणों पर उल्लिखत परिशिष्ट है ।

कम्पनी की लेखा बहियों और अभिलेखों की जॉच, जिसे हमने उचित समझा है, और इस संबंध में हमारी लेखा परीक्षा के दौरान दी गयी जानकारी और स्पष्टीकणों के अनुसार हम सूचित करते हैं किः

क्रम सं.	निर्देश	टिप्पणी
1	क्या कम्पनी के पास कोई ऐसी पद्धति है जिसके अंतर्गत सभी वित्तीय लेनदेन को किसी सुचना प्राद्योगिकी प्रणाली के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है ? यदि हॉ तो बाहरी सुचना प्राद्योगिकी प्रणाली को अपनाए जाने से वित्तीय लेखों की गोपनीयता में उत्पन्न समस्याएँ और संबंधित राशि क्या है ।	हॉ । कम्पनी के पास ऐसी पद्धति है जिसके अंतर्गत सभी वित्तीय लेनदेन को एक सुचना प्राद्योगिकी प्रणाली के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है । फिरभी, यह देखा गया है कि कम्पनी के पास स्वयं अपनी कोई सुचना प्राद्योगिकी प्रणाली नहीं है किन्तु टैली सोल्यूशन्स की टैली साफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है जिसके अंतर्गत वाउचरों की लेखा परीक्षा, जोडे जाने या हटाए जाने की सुविधा नहीं है । चूँकि, सुचना प्राद्योगिकी प्रणाली से बाहर कोई लेनदेन नहीं है, इससे कोई प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव नही देखा गया है ।
2	क्या कम्पनी के पास कोई वर्तमान ऋण या किसी देनदारी/ऋण/ब्याज आदि जिसे अदा करने में कम्पनी असमर्थ है, को माफ करने/बट्टे खाते डाले जाने के मामले मौजूद है ? यदि हॉ तो इसका कारण और संबंधित राशि क्या है ।	समीक्षाधीन वर्ष के दौरान ऋण को वापस चुकाने में कम्पनी की असमर्थता के कारण वर्तमान ऋण की माफी अथवा उसे बट्टे खाते डाले जाने जैसा कोई मामला नहीं हैं जिसका दावा किसी देनदार किया गया हो । किन्तु सक्षम प्राधिकरण के अनुमोदन को प्राप्त करते हुए एसबीआई की एकसाथ संपूर्ण निबटान की योजना के अंतर्गत रु. 43,63,31,252/- का भुतान करते हुए दीर्घकालिक देयताओं और उसके लिए ब्याज से संबंधित कुल बकाया राशि रु. 2,38,53,31,288/- जो लेखा बहियों में 31.03.2020 से बकाया है का पूर्ण निपटान कर लिया गयाा और इस संबंध में एसबीआई, संपदा वसूली प्रबन्धन शाखा, बेंगलूरु से अदेयता प्रमाणपत्र दिनांक 17.12.2020 भी प्राप्त कर लिया गया है । परिणामतः उक्त राशि रु. 2,38,53,31,288/- को लाभ और हानि विवरण के अंतर्गत प्रावधान जिसकी अब आवश्यकता नहीं है के रूप में दर्शाया गया है ।
3	केन्द्र/राज्य सरकार या अन्य अभिकरणों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों	हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कम्पनी के अभिलेखों की हमारी जॉच से पता चलता है

	का लेखाकरण अथवा उपयोग समुचित रूप से और उसके नियमों के अपुसार किया गया ? यदि कोई विसंगतियॉ हों तो ऐसे मामलों की सूची प्रस्तुत की जाए ।	कि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा भारत सरकार से विनिर्दिष्ट व्ययों के लिए कुल 7 करोड रुपए अनुदान के रूप में प्राप्त हुआ है जिसका उपयोग किया गया और 31.03.2021 को 74.41 लाख रुपए बैंक के स्थिर जमा के अंतर्गत रखा गया है । अनुदान की प्राप्त राशि और उसके उपयोग में हमें कोई विसंगति दिखाई नहीं दी ।

.

कृते **पाम्पन्ना एण्ड कम्पनी**
सनदी लेखाकार
पंजीकारण संख्याः 010225एस

ह0 पाम्पन्ना
प्रोप्राइटर
सदस्यता संख्या : 207100
यूडीआईएनः 21207100एएएबीआर 2353

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 16–09–2021

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की पुनरीक्षित रिपोर्ट का परिशिष्ट–3

परिशिष्ट 3, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कम्पनी अधिनियम तथा अन्य न्यायिक रिपोर्ट और विनियमों की आश्यकताओं पर हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुच्छेद 3(च) अंतर्गत उल्लेख किए गए अनुसार 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के वित्तीय विवरणों के अंतर्गत उल्लिखत परिशिष्ट है ।

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप–धारा (1) के अधीन कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट :

हमने भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड (कम्पनी) के 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा कर ली है और हमारी लेखा परीक्षा के संदर्भ में हमने कम्पनी में उपलब्ध आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की व्यवस्था की भी जॉच की है ।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबन्धन का दायित्व

भारतीय सनदी लेखाकारों की संस्था (आईसीएआई) द्वारा वित्तीय लेखों की लेखा परीक्षा के लिए आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किए जाने के संबंध में दिए गए मार्गदर्शक टिप्पणी के अनुसार लेखों की लेखा परीक्षा के लिए समचित आंतरिक नियंत्रण की व्यवस्था को स्थापित करने और उसके उचित अनुरक्षण का दायित्व कम्पनी के प्रबन्धन का ही है । इन दायित्वों के अंतर्गत आंतरिक नियंत्रण की व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करना, उसकी स्थापना और नियमित रूप से उसका अनुपालन और कम्पनी की लेखा नीतियों के अनुसार उसके सुचारु और प्रभावकारी रूप से कार्य करने की बात को सुनिश्चित करने दायित्व सम्मिलित है । कम्पन की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और उसके कार्यकलापों में यदि कोई तृटियॉ अथवा किसी भी पक्ष द्वारा धांधली को पता लगाना और उसका रोकथाम, कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार लेखों के परिपूर्ण एवं सही ढंग से तैयारी और प्रस्तुतीकरण का दायित्व सम्मिलित है ।

लेखा परीक्षकों का दायित्व

हमारा दायित्व कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था की जॉच कर कम्पनी के लेखों पर सही और समुचित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए इनकी उपयुक्तता के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना है । हमने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत दिए गए विनिर्देशों के अनुसार भारतीय सनदी लेखाकारों की संस्था आईसीएआई द्वारा लेखों की लेखा परीक्षा और वित्तीय लेखों की तैयारी के लिए जारी किए गए मार्गदर्शनों की टिप्पणी और लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार कम्पनी में उपलब्ध आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था की जॉच की है । इसके अनुसार हमारे लिए यह आवश्यक है कि अपनी लेखा परीक्षा के लिए एक योजना तैयार कर वित्तीय विवरण किसी भी प्रकार से गलत न होने के संबंध में कम्पनी से समुचित आश्वासन प्राप्त करें और वास्तवित रूप में आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था का संचालन हो रहा है और ये नियंत्रण प्रणालियॉ अपना कार्य समुचित और प्रभावकारी रूप से कर रही हैं ।

हमारी लेखा परीक्षा के अंतर्गत हमारे निष्पादन की एक सुनिश्चित पद्धति है जिसके अंतर्गत हमें लेखों पर आंतरिक नियंत्रण के लिए कम्पनी में उपलब्ध नियंत्रण की प्रणाली की पर्याप्तता और उसके प्रभावकारी प्रचालन की जॉच की जानी है । लेखों की तरपोर्ट तैयार करने के लिए उपलब्ध कम्पनी के आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था की हमारी जॉच के लिए इससे संबंधित सभी जानकारी प्राप्त की गयी है और इस व्यवस्था के कारण लेखों की तैयारी में उत्पन्न होनेवाली समस्याएँ और उसकी कमियॉ आदि की जी जॉच की गयी है । इसके लिए अपनाई गयी कार्यपद्धति लेखापरीक्षों के निर्णयाधिकार के अनुसार ही है । इसके अंतर्गत इस व्यवस्था की समस्याओं का आकलन, वित्तीय विवरणों के तृटिपूर्ण प्रस्तुति की संभावना अथवा कोई धांधली होने की संभावना आदि का पता लगाना सम्मिलित है ।

हमारा विश्वास है कि कम्पनी के वित्तीय नियंत्रण की व्यवस्था हमारी राय में वित्तीय विवरणों के सही ढंग से प्रस्तुत करने के लिए समुचित और उपयुक्त है ।

वित्तीय लेखों की रिपोर्ट के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रा की व्यवस्था का औचित्य

किसी भी कम्पनी के लेखों पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की व्यवस्था इसलिए बनाई गयी है ताकि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा नीतियों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए विश्वनीय और समुचित रूप से वित्तीय लेखों की तैयारी और प्रस्तुति को सुनिश्चित किया जा सके । कम्पनी के लेखों पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए बनाई जानेवाली आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की व्यवस्था के अंतर्गत सम्मिलित नीतियों और पद्धतियों के अंतर्गत (1) लेखा बहियों का समुचित रखरखाव जिसमें कम्पनी की परिसंपत्तियों से संबंधित सभी लेनदेन आदि सभी आवश्यक विवरण समुचित रूप से रखा जाना आवश्यक है । (2) वित्तीय विवरणों की तैयारी सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा नीतियों के अनुसार कम्पनी की सभी प्राप्तियॉ और व्यय कम्पनी के प्रबन्धन और निदेशकों द्वारा अधिकृत किए जाने के बाद ही किए जाने की बात सुनिश्चित की जानी है और (3) कम्पनी की परिसम्पत्तियों की प्राप्ति या उसके निबटान में कोई अनधिकृत पद्धति के रोकथाम और उसके निवरण और यथा समय ऐसे मामलों की पहचान की बात सुनिश्चित की जानी चाहिए जिससे कम्पनी के लेखें प्रभावित होते हैं ।

वित्तीय लेखों के रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की व्यवस्था की सीमितताऍं

वित्तीय लेखों की रिपोर्टिंग के लिए बनाई जानेवाली आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की व्यवस्था के अंतर्गत कुछ अपनी सीमितताऍं मौजूद हैं जिसके अंतर्गत आपस मे मिलीभगत या इन नियंत्रण की प्रणालियों पर प्रबन्धन का अनुचित अधिकार, धांधली और विवरणों की गलत प्रस्तुति के कारण कुछ तृटियॉ उत्पन्न हो सकती हैं और कभी कभी इनका पता भी नहीं चल पाता है । इसके अलावा, कभी कभी भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते समय आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रणाली में कभी समस्याऍं उत्पन्न हो सकती है और यह व्यवस्था बदली हुई परिस्थितियों के कारण अपर्याप्त साबित हो सकती है अथवा इसके लिए बनाई गयी नीतियों और पद्धतियों के अनुपालन की स्थिति में खराबी आ सकती है ।

लेखों के प्ररूतुतीकरण में आंतरिक नियंत्रण की कमी पूर्णतः एक कमजोरी अथवा एक कमी अन्यथा इन दोनों का एक सम्मिलित रूप ही माना जाएगा और इसके कारण इस बात की पूरी संभावना रहती है कि वार्षिक वित्तीय विवरण सही न हों और इसका पता समय रहते नही चल सकता है ।

विचारों की अप्रतिबद्धता

वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति के लिए कम्पनी में उपलब्ध आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की व्यवस्था के बारे में कम्पनी द्वारा हमें आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं की गयी है जिससे हम इस बात का पता लगाया जा सके कम्पनी द्वारा स्थापित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की व्यवस्था पर्याप्त है अथवा नहीं । हमे इस बात का पता भी नहीं चला कि यदि कोई आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की व्यवस्था उपलब्ध है तो क्या वह 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के अपना कार्य सुचारु रूप से कर रही है अथवा नहीं ।

हमने कम्पनी के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा करते समय कम्पनी की प्रकृति, समय और लेखा परीक्षा की सीमा आदि को देखते हुए उपर्युक्त अप्रतिबद्धता का पर विचार करने की बात को लागू करना उचित समझा है और इस अप्रतिबद्धता के कारण कम्पनी के वित्तीय विवरणों पर हमारे विचार अवश्य प्रभावित हुए हैं और हमने कम्पनी के वित्तीय विवरणों के संबंध में एक प्रतिकूल विचार प्रस्तुत किया है ।

.

कृते **पाम्पन्ना एण्ड कम्पनी**
सनदी लेखाकार
पंजीकारण संख्याः 010225एस

ह0 पाम्पन्ना
प्रोप्राइटर
सदस्यता संख्या : 207100
यूडीआईएनः 21207100एएएबीआर 2353

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 16–09–2021

निदेशकों की रिपोर्ट 2020–21 का परिशिष्ट
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की टिप्पणी और उसके लिए कम्पनी का उत्तर

क्रम सं	लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	कम्पनी का उत्तर
(क)	टिप्पणी संख्या 28.2, जो कम्पनी के लेखों का ही एक भाग है, के अंतर्गत उल्लेखित रूप में कम्पनी को एक **चालू संगठन** मानते हुए लेखों की तैयारी कीयगयी है जो हमारी राय में उचित नहीं है क्योंकि कम्पनी की वस्तुस्थिति के बारे में सूचित किया गया है कि: औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी. आई.एफ.आर) ने रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अनुसार वर्ष 1992 को दौरान इस कम्पनी को एक रुग्ण इकाई के रूप में घोषित किया गया और बीआईएफआर/एएआईएफआर द्वारा आवश्यक प्रक्रिया को पूरा करते हुए दिनांक 15–11–2000 को रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 धारा 20(1) के अनुसार चमुचित आधारों पर कम्पनी को बन्द करने के अपने निर्णय को पुष्टीकृत किया गया है ।	यह एक वास्तविक कथन है । कम्पनी को बन्द करने के भारत सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा को देखते हुए कम्पनी की परिसंपत्तियों का मूल्यांकन का मामला लेखों पर टिप्पणी संख्या 28 में बताए गए अनुसार न केवल गोपनीय बल्कि न्यायालय के अधीन भी है ।
(ख)	टिप्पणी संख्या **11.3** की ओर ध्यान आकषित किया जाता है जो कम्पनी के लेखों का ही एक भाग है जिसके अनुसार कम्पनी के पास कम्पनी के उपनगर में कम्पनी के अधिकारी और कर्मचारियों के उपयोग के लिए 10911 आवास गृह मौजूद हैं । इनमें से भारत सरकार के आदेशानुसार 2812 आवास गृहएसटीबीपी योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को दिए गए हैं। बचे हुए 8099 आवास गृहों में से 4477 आवास गृह लीज/किराए पर, 37 आवास गृह राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान और राष्ट्रीय शिला यांत्रिकी संस्थान को दिए गए हैं और 4 आवास गृह खाली और परित्यक्त स्थिति में मौजूद हैं । 3581 आवास गृह, सुरक्षा व्यवस्था मौजूद होने के बावजूद, अनधिकृत तौर पर अपनाए गए हैं । आवश्यक जानकारी के अभाव में हम वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव का आकलन करने की स्थिति में नहीं है ।	समुचित सुरक्षा व्यव्यस्था मौजूद होने के बावजूद लम्बी अवधि के दौरान कम्पनी के आवास गृहों का अनधिकृत आक्रमण हुआ है और उन्हें हटाया नहीं जा सका है । इस बात को ध्यान में रखते हुए, कि कम्पनी प्रबन्धन अपनी परिसंपत्तियों को "जहॉ हैं जिस हालत में हैं" के आधार पर अपनी संपत्तियों का निपटान करने जा रही है, वस्तुस्थिति में उनको खाली कराया जाना भी व्यावहारिक नहीं है ।
(ग)	टिप्पणी संख्या **11.4** की ओर ध्यान आकषित किया जाता है जो कम्पनी के लेखों का ही एक भाग है जिसके अनुसार कम्पनी द्वारा राष्ट्रीय शिला यांत्रिकी संस्थान को संपत्ति (10 एकड से अधिक) भौतिक रूप से अंतरित किए जाने के बावजूद इन परिसंपत्तियों को भारत सरकार से निर्देशों के प्राप्त होने और अन्य औपचारिकताऍं पूर्ण होने तक कम्पनी के लेखा बहियों में ही रखे जाने की बात कही गयी है । आवश्यक जानकारी के अभाव में हम वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव का आकलन करने की स्थिति में नहीं है ।	लेखों पर टिप्पणी संख्या 28 के अंतर्गत बताए गए अनुसार कम्पनी की परिसंपत्तियों को बेचे जाने के लिए एक कार्य योजना बनाई गयी है जिसके लिए भारत सरकार के आदेशों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(घ)	टिप्पणी संख्या **11.5** की ओर ध्यान आकषित किया जाता है जो कम्पनी के लेखों का ही एक भाग है जिसके अनुसार कर्मचारियों को उनके 2812 आवास गृह एवं गृह निर्मित भूमि (लगभग 31.90 एकड) भारत सरकार के निर्देशानुसार एसटीबीपी योजना के अंतर्गत कर्मवारियों को बेची गयी है । इसके अंतर्गत 2732 कर्मचारियों की ओर से रु. 2,16,94,867.33 (लगभग 15 रुपए प्रति वर्ग फीट की दर पर) प्राप्त बिक्री मूल्य हस्तांतरण से संबंधित औपचारिकताएँ पूरी होने तक के लिए कम्पनी की लेखा बहियों में ही रखी गयी है । आवास गृह के बाहर की भूमि (लगभग 91 एकड) उक्त कर्मचरियों को बेचे जाने के संबंध में अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है । 75 आवास गृहों में रहनेवाले कर्मचरियों द्वारा बिक्री मूल्य अभी अदा नहीं किया गया है । 5 आवास गृह खाली और परित्यक्त स्थिति में मौजूद है । आवश्यक जानकारी के अभाव में हम वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव का आकलन करने की स्थिति में नहीं है ।	स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लाभ योजना के अंतर्गत आवास गृहों को बेचने से प्राप्त राशि के अंतर्गत कम्पनी के भूतपूर्व कर्मचारियों को गृहों की फर्श वाली सीमा तक बेची गयी भूमि की राशि सम्मिलित है और आसपास से जुडी हुई बाहरी भूमि कर्मचारियों को बेचे जाने के संबंध में निर्णय उसके स्वामित्व के हस्तांतरण की औपचारिकताएँ पूरी करते समय की जाएगी । कर्मचारियों से प्राप्त राशि को अग्रिम राशि के रूप में चालू देनदारियों के अंतर्गत दर्शाया गया है ।
(ङ)	टिप्पणी संख्या **11.11** की ओर ध्यान आकषित किया जाता है जो कम्पनी के लेखों का ही एक भाग है जिसके अनुसार वर्ष 2019–20 के दौरान कम्पनी की भूमि को छोड कर अन्य स्थायी परिसंपत्तियों का मदवार भौतिक सत्यापन एक बाहरी लेखा परीक्षक द्वारा किया गया है और कम्पनी के प्रबन्धन द्वारा उनकी रिपोर्ट स्वीकृत की गयी है । कम्पनी की परिसंपत्तियों का समाधान स्थायी परिसंपत्तियों के रजिस्टर के साथ नहीं किया गया है क्योंकि यह गोपनीय और न्यायालयाधीन है । आवश्यक जानकारी के अभाव में हम वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव का आकलन करने की स्थिति में नहीं है ।	स्थायी परिसंपत्तियॉ एवं वस्तुसूची (भूमि और भवनों को छोडकर) कर्नाटक राज्य और आन्ध्र प्रदेश में कम्पनी के विभिन्न स्थानों पर मौजूद है और इसका भौतिक सत्यापन एक बाहरी अभिकर्ता द्वारा अक्तूबर, 2019 के दौरान कराया गया है जिसकी रिपोर्ट प्राप्त हुई है । रिपोर्ट के अंतर्गत पता लगायी गयी मदों का मिलान व्यावहारिक कारणों यथा सुरक्षा कारणों से परिसंपत्तियों का सथान पिछले 20 वर्षों के दौरान यहॉ वहॉ बदा गया है । इसके अलावा संयंत्र, मशीनरी और भण्डार सामग्री आदि को लेखा बहियों के अनुसार वर्गीकृत करने के लिए समुचित श्रमशक्ति उपलब्ध नहीं है । इनके निपटान के लिए निर्णय लिए जाने पर यह कार्य अपनाया जा सकता है । फिलहाल यह मामला न्यायालय के अधीन है ।
(च)	टिप्पणी संख्या **14.1** से **14.9** की ओर ध्यान आकषित किया जाता है जो कम्पनी के लेखों का ही एक भाग है जिसके अनुसार सूचित किया गया है कि: वस्तुसूची के अंतर्गत स्क्रैप किए गए ताम्बे के बिजली के तार (जिसे हाल ही में हटाया गया है) सम्मिलित नहीं है जिसका वजन 150 मेट्रिक टन और मूल्य लगभग 6 करोड रुपए है जिसके निपटान का अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है । इसी प्रकार सतह पर पडे हुए 33 मिलियन टन रेत के ढेरों, जिससे 13.2 मेट्रिक टन स्वर्ण निकाला जा सकता है, को खाते के अंतर्गत नहीं लिया गया है । 8.6 ग्राम स्वर्ण, 12,386 ग्राम	ताम्बें के बिजली के तार जैसा कि टिप्पणी संख्या **14.1** के अंतर्गत भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन में सूचित किया गया है, केन्द्रीय कारखाना (विद्युत) के चार विभन्न कमरों में रखे गए हैं । प्रमुख लेखा नीतियॉ के अनुच्छेद 9 (5) में बताए अनुसार समरक्षाधीन वर्ष के अंत तक विभिन्न खदानों और मिलों में पडे हुए स्वर्ण अयस्क के स्टाक का मूल्यांकन नहीं किया गया है । इसके अलावा टिप्पणी संख्या 28 के अनुसार कम्पनी की अन्य परिसंपत्तियों की बिक्री का मामला अभी लंबित

	वनज वाले 14 स्वर्ण अयस्क के नमूने, प्लाटिनम के क्रूसिबुल और परीक्षण प्रयोगशाला के मद जिन्हें कार्पोरेशन बैंक, राबर्टसनपेट के लाकरों में रखा गया है और जिनका वास्तविक मूल्य का निर्धारण नहीं किया गया है, को खाते के अंतर्गत नहीं लिया गया है । इसके अलावा 5057 किलो ग्राम वनज के 881 हालोड्रिल स्टील, टीसी इनसर्ट्स जिन्हें कम्पनी के केन्द्रीय कारखाने (बीईएमएल) में रखा गया है, को लेखों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं लिया गया है क्योंकि उनसे प्राप्य मूल्य का आकलन नहीं किया गया है । इस्तेमाल से हटाए गए तार के रस्सों (लगभग 4 मेट्रिक टन) और रसायनों की कुछ मात्रा जिसका निपटान नहीं किया गया है को कम्पनी के पास ही रखी गयी है । न्यायालय के निर्णय/खरीदकर्ताओं वितरित करने के पश्चात उसका समायोजन किया जाएगा । कम्पनी की नीति के अनुसार खानों और मिलों के पास पडे हुए अयस्क का अंतिम स्टाक 340 मेट्रिक टन जिसका मूल्यांकन नहीं किया गया है, को खाते में नहीं लिया गया है । वर्ष 2019–20 के दौरान कम्पनी के विभिन्न भण्डारों में उपलब्ध सामाग्री का मदवार भौतिक सत्यापन बाहरी लेखापरीक्षक द्वारा किया गया है । इन परिसंपत्तियों का मूल्यांकन नहीं किया गया क्योंकि यह गोपनीय एवं न्यायालयाधीन है । आवश्यक जानकारी के अभाव में हम वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव का आकलन करने की स्थिति में नहीं है ।	और न्यायालय के अधीन है ।
(छ)	टिप्पणी संख्या **28.3 (1)** की ओर ध्यान आकषित किया जाता है जो कम्पनी के लेखों का ही एक भाग है जिसके अनुसार 117.95 एकड भूमि विभिन्न निजी पार्टियों और संस्थानों को घरेलू और वाणिज्यिक उपयोग के लिए पट्टे पर दी गयी है जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है । फिरभी कम्पनी द्वारा अवधि समाप्त पट्टों शर्तों पर ही किराया वसूल किया जा रहा है । आवश्यक जानकारी के अभाव में हम वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव का आकलन करने की स्थिति में नहीं है ।	कम्पनी के सभी पट्टों को फिरसे क्रमबद्ध एवं नियमित करने का प्रयास किया जा रहा है और जहॉ भी संभव हो पार्टियों को खाली खाली कराए जाने पर ध्ययन दिया जा रहा है ।
(ज)	टिप्पणी संख्या **28.5** की ओर ध्यान आकषित किया जाता है जो कम्पनी के लेखों का ही एक भाग है जिसके अनुसार पार्टियों की बकाया राशि औपचारिक पुष्टीकरण और मान्यता के आधार पर है । अग्रिम, विविध देनदार और ऋणदाताओं की शेष बकाया राशि के लिए खातों की समीक्षा उनके पुष्टीकरण की सीमा तक के लिए की गयी है । वास्तविक स्थिति की जानकारी के लिए आगे और समीक्षा जारी रखी गयी है । कुछ देनदारियों/अग्रिम, जो 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए लंबित हैं और संबंधित पार्टियों द्वारा जिनका पुष्टीकरण नहीं किया गया है, के लिए लेखों के अंतर्गत कोई प्रावधान की व्यवस्था नहीं की गयी है । आवश्यक जानकारी के अभाव में भारत	अग्रिम, फुटकर देनदार और फुटकर लेनदारों की लम्बी अवधि से बकाया राशि, जो दो दशक से लम्बित है, की समीक्षा की जा रही है और अपुष्टीकृत शेष राशिों को न्यायिक विचार प्राप्त करने के पश्चात बट्टेखाते डाले जाने पर विचार किया जा रहा है क्योंकि परिसंपत्तिया और देनदारियॉ का माला न्यायाल के अधीन है । टिप्पणी संख्या **28** में बताए गए अनुसार चूँकि कम्पनी के सभी सामान्य कार्यकलापों को बन्द कर दिए गए हैं, इसका अनुपालन कम्पनी पर लागू नहीं है ।

	सरकार, विधि, न्याय और कम्पनी मामलों के विभाग द्वारा जारी की गयी राजपत्र अधिसूचना दिनांक 22–2–1999 द्वारा अपेक्षित रूप में लघु औद्योगिक उपक्रम के रूप में वर्गीकरण नहीं किया गया है । इसी प्रकार माइक्रो, लुघु और मध्यम उद्योग विकास अधिनियम 2006 की धारा 22 का अनुपालन नहीं किया गया है । आवश्यक जानकारी के अभाव में हम वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव का आकलन करने की स्थिति में नहीं है ।	
(झ)	जीएसटी रिटर्नों की जॉच जॉच से पता चलता है कि कम्पनी द्वारा सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा प्राप्त की गयी है जिसकी कुल राशि रु. 85,92,446/- है जो खनिज गवेषण निगम लिमिटेड (एमईसीएल) द्वारा किए गए विकास और गवेषणात्मक सेवाओं के कर देय मूल्य रु. 4,77,35,796/- से संबंधित है । कम्पनी द्वारा इस विकास और गवेषणात्मक सेवाओं के व्यय रु. 4,77,35,796/- और इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि रु. 85,92,446/- को खाते के अंतर्गत नहीं लिया गया है । परिणामतः चालू वर्ष के लाभ को रु. 4,77,35,796/- अधिक और आरक्षण और अधिशेष के ऋणात्मक मूल्य को 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के तुलनपत्र में रु. 4,77,35,796/- कम दर्शाया गया है । इसके अलावा चालू परिसंपत्तियों, विकास और गवेषणात्मक सेवाओं के व्यय और चालू देदारियों को क्रमशः रु. 85,92,446/-, रु. 4,77,35,796/- और रु. 5,63,28,242/- कम दर्शाया गया है । जीएसटी पोर्टल के अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट का मिलान लेखा बहियों के साथ नहीं किया गया है । आवश्यक जानकारी के अभाव में हम वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव का आकलन करने की स्थिति में नहीं है ।	बीजीएमएल की ओर से खनिज गवेषण निगम लिमिटेड (एमईसीएल) द्वारा किए गए गवेषणात्मक कार्यों के लए भुगतान के मामले पर मंत्रालय द्वारा विचार किया गया है । इस देनदारी के लए भेजे गए मांगपत्र को मंत्रालय द्वारा वापस लिया जा रहा है । चूँकि बीजीएमएल एक बन्द कर दी गयी कम्पनी है, इन देनदारियों के लिए लेखा बहियों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है । जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट के समाधान के समाधान के कार्य में प्रगति हो रही है क्योंकि आरसीएम के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट और पूर्तिकर्ताओं द्वारा अपलोड किए गए विवरण की पूर्णतः समीक्षा की जा रही है ।

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर

Ranjit Rath

(डा.रंजीत रथ)
प्रबन्ध निदेशक
निपसं 08275277

दिनांकः 10-08-2021.

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए मेसर्स भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की टिप्पणी

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अनुसार वित्तीय प्रतिवेदन तैयार तैयार किए जाने के लिए जो प्रक्रिया निर्धारित की गयी है उसके अनुसार 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए मेसर्स भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, से संबंधित वित्तीय विवरणों को तैयार करना उक्त कम्पनी के प्रबन्धन का ही दायित्व है । कम्पनी अधिनियम की धारा 139 (5) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सनदी लेखाकारों का दायित्व कम्पनी अधिनियम की धारा 143 के अनुसार कम्पनी के वित्तीय विवरणों पर अपना विचार व्यक्त करना मात्र है जो कम्पनी अधिनियम की धारा 143 (10) के अनुसार सनदी लेखाकारों के लिए निर्धारित मानकों और स्वतंत्र लेखा परीक्षा प्रक्रिया के अनुसार हो । यह सूचित किया गया है कि उक्त स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा अपने संशोधित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन इसी पद्धति के अनुसार दिनांक 16 सितम्बर, 2021 को तैयार किया गया है जो उनके इससे पूर्व के प्रतिवेदन 04 अगस्त, 2021 का अतिक्रमण करता है ।

मैं ने भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की ओर से मेसर्स भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड के 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम की धारा 143 (6)(क) के अनुसार अपनी अनुपूरक लेखा परीक्षा कर ली है । यह अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के दस्तावेजों से काई संबंध न रखते हुए स्वतंत्र रूप से की गयी है और सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं कम्पनी के सीमित और चुने हुए कर्मचारियों एवं चुने गए अभिलेखों की जॉच के आधार पर की गयी है ।

मेरे अनुपूरक लेखा परीक्षा में उठाए गए मुद्दों पालन करते हुए सांविधक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में किए गए संशोधन को ध्यान में रखते हुए सांविधिक लेखा परीक्षकों की पूरक रिपोर्ट पर अधिनियम 143 (6)(क) अंतर्गत मुझे आगे और कोई टिप्पणी नहीं करनी है ।

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक
के लिए और उनकी ओर से

ह0 एम.एस. सुब्रहमण्यम
महा निदेशक, वाणिज्य लेखा परीक्षा
हैदराबाद

हैदराबाद
दिनांक: 24 सितम्बर, 2021.

बीजीएमएल के अधिकारी



श्री आर. नन्मति सेल्वन
विशेष कार्य अधिकारी
भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड



श्री शशि रंजन
निदेशक जीएसआई एवं
भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड



श्री जिम अमलराज
मुख्य प्रबन्धक (वित्त), एचसीएल एवं
भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड



डा. एस. ए. पनसम्बाल
मुख्य सुरक्षा अधिकारी एवं संपदा अधिकारी
भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड

लेखा परीक्षक
मेसर्स पाम्पन्ना एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार
#339/31, 9वाँ मेइन, गोकुला प्रथम स्टेज, द्वितीय चरण
शंकर इंग्लिश स्कूल के समीप, एमएसआरआईटी पोस्ट, मथिकेरे
बेंगलूरु - 560 032

बैंक
कार्पोरेशन बैंक, के,जी.एफ.